

RNI No. MPHIN/2018/76422

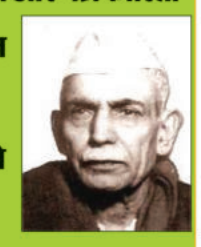
बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

कलम और पत्रकारिता समाज को जगाने का



सबसे बड़ा माध्यम है।

माखनलाल चतुर्वेदी

वर्ष-09, अंक - 03 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 05 नवम्बर 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुशासन का सरकारी दावा और भ्रष्टाचार की जमीनी हकीकत

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को दो दशक से ज्यादा का (बीच में 15 माह छोड़कर) समय हो गया है और सरकार द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है भाजपा के शासन में सुशासन है। तथा हर काम नियम कानून के अनुसार सुचारू रूप से चल रहा है और हर पात्र व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ पात्रता अनुसार दिया जा रहा है लेकिन जो खबरें लगातार सामने आ रही है उससे तो यही लगता है कि, भाजपा के सुशासन का दावा खोखला ही है।

हाल ही में नगरीय विकास विभाग में जेम पोर्टल से खरीदी राशि और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अविश्वसनीय अंतर सामने आया है। जिसमें एक बाल्टी (डस्टबिन) की कीमत 1 लाख रुपए तक बतलाई गई है। जबकि बाजार में बाल्टी महज कुछ सौ रुपए में आसानी से मिल जाती है। वहीं एक फिनायल की बाटल 5 लीटर की जिसकी कीमत 33 हजार रुपए से ज्यादा दर्शाई गई है। जबकि बाजार में फिनाइल 14 से 20 रूपए लीटर तक आसानी से उपलब्ध है। वहीं 5 लीटर की बाटल 100 से कम कीमत पर मिल रही है। वहीं एक बल्ब जो बाजार में 50 से 100 रूपए में मिल सकता है जैसे पोर्टल पर उसकी खरीदी नगरीय विकास विभाग ने 11 हजार रुपए होना दर्शाया गया है। जिसको लेकर कांग्रेस, सरकार पर हमलावर है। यही नहीं एक निकाय कचरा वाहन को 2 लाख में खरीदता है वहीं चार डस्टबिन लगाने के बाद उसी प्रकार के वाहन को दूसरा निकाय 6 लाख रुपए में खरीदता है। यह सब गड़बड़ी एआई तकनीकी की मदद से पकड़ी गई है और इस गड़बड़ी का खुलासा विभाग के एसीएस संजय दुबे ने किया। पहले तो उन्होंने बयान दिया कि सख्त कार्रवाई के लिए उनके पास समय नहीं है वहीं मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने कार्यवाही के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किए जो कि आम जनता के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी हजम नहीं हो रहे हैं। लापरवाह अफसरशाही न केवल मध्य प्रदेश की छवि धूमिल कर रही है वरन भाजपा सरकार के सुशासन के दावे की भी हवा निकाल रही है।

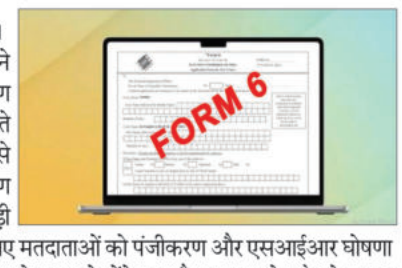


लोकतंत्र पर हमला करने संबंधी रैली भाजपा द्वारा निकाली जा रही है जो की इंदौर में भी निकाली गई थी। वहा पर एक व्यक्ति खरीदी में भ्रष्टाचार के मामले संबंधी पोस्टर लाया जिसे देखकर प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासनमंत्री कैलाश विजयवर्गी भड़क गए और उन्होंने तत्काल उस व्यक्ति को वहां से हटवाने के निर्देश दिए।

वही मुरैना और सागर के बाद देवास जिले में भी जहरीली शराब से मौत हुई है सरकार ने यहां से एसपी और कलेक्टर को भले ही हटा दिया है लेकिन क्या यह पर्याप्त है। अफसरो की कार्य प्रणाली यह संकेत देती है कि, अधिकारियों में दृढ़ इच्छा शक्ति और जवाब देही जिम्मेदारी और कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाती है।

इस प्रकार की घटनाओं से न केवल मध्य प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है वहीं सरकार के प्रति आम लोगों के रवैये में भी बदलाव की आहट ला रही है। इस प्रकार की घटनाएं कम होना तो दूर और अधिक बढ़ती ही जा रही है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में भी नित नए खुलासे के बाद सुशासन के दावे की हकीकत से आम जनता रूबरू हो रही है। दारू के साथ ही दवाई भी नकली मिल रही है जिसको लेकर आम जनता में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि, मध्य प्रदेश में दारु तो ठीक दवा भी सही नहीं मिल रही है। नौकरशाही का यह रवैया सरकार के सुशासन के दावे की पोल खोलने के साथ ही अधिकारियों के अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शा रहा है। वहीं सरकार द्वारा ठोस करवाई न किया जाना आम आदमी के मन में सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। यही नहीं सरकार में नौकरशाही के आगे जनप्रतिनिधि भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। दबे स्वर में जनप्रतिनिधि भी इस बेलगाम अफसरशाही के विरोध में है लेकिन सरकार के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं।

चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 से एसआईआर घोषणा हटाई



नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव करते हुए ऑनलाइन फॉर्म-6 से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी घोषणा हटा दी है। अब नए मतदाताओं को पंजीकरण और एसआईआर घोषणा के लिए अलग-अलग आवेदन भरने होंगे। यह फैसला आयोग के दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों के बाद लिया गया है। पहले फॉर्म-6 में आवेदकों को यह बताना अनिवार्य था कि उनका या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। चुनाव आयुक्तों ने इसे नियमों के अनुरूप नहीं बताते हुए कहा था कि निर्धारित प्रारूप में बदलाव के लिए कानूनी संशोधन जरूरी है। आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ रखने का उद्देश्य आवेदकों की सुविधा बढ़ाना था। हालांकि, इससे निर्धारित फॉर्म में बदलाव का भ्रम पैदा हो सकता था। इसलिए 21 अक्टूबर को दोनों प्रक्रियाओं को अलग करने का निर्णय लिया गया।

रेल हादसा: 69 लोगों की मौत, परिवहन मंत्री ने दिया इस्तीफा



मैड्रिड। स्पेन में 28 अक्टूबर को मैड्रिड के दक्षिण में दो उच्च गति वाली ट्रेनों की टक्कर में 69 लोगों की मौत के बाद परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि एक साल से भी कम समय में दो गंभीर रेल दुर्घटनाओं के बाद पद पर बने रहना उचित नहीं है। विपक्ष और रेलवे कर्मचारी संगठनों की ओर से भी उनके इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, मैड्रिड-सेविले रेल मार्ग पर सुरक्षा से जुड़ा संचार तंत्र विफल होने के बाद सरकारी रेल कंपनी रेनफे की ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, जबकि निजी कंपनी इर्यो की ट्रेन पहले से पटरी पर खड़ी थी। इससे दोनों ट्रेनों की टक्कर हो गई। हादसे की जांच जारी है। इससे पहले जनवरी में अदामुज के पास हुए रेल हादसे में 46 लोगों की मौत हुई थी। लगातार दुर्घटनाओं के बाद स्पेन में रेलवे सुरक्षा को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। परिवहन मंत्री ने नियंत्रण केंद्रों में सुधार और यूरोपीय रेल यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी।

सुप्रीम कोर्ट के सवाल: दो से अधिक बच्चों पर चुनावी रोक अब बेमानी?

नई दिल्ली, एजेंसी।



सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने वाले कानूनों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने कहा कि देश में घटती प्रजनन दर और बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कानूनों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है। ऐसे में दो से अधिक बच्चों के आधार पर लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों की प्रासंगिकता की समीक्षा आवश्यक है। वर्ष 2003 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को अयोग्य ठहराने का आदेश भी रद्द कर दिया। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के कारण चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था। महाराष्ट्र में 13 सितंबर 2000 से लागू संशोधन के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

न्यायालय की इस टिप्पणी और फैसले से दो बच्चों की नीति के आधार पर चुनावी अयोग्यता संबंधी कानूनों की संवैधानिक वैधता तथा वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उनकी प्रासंगिकता पर नए सिरे से बहस शुरू होने की संभावना है।

नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद।



तेलंगाना की अब्दुल्लापुरमेट पुलिस और शादनगर विशेष अभियान दल (एसओटी) ने नकली नोट छापने और ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 500 रुपये के कुल 6.78 करोड़ रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं।

पुलिस आयुक्त तरुण जोशी के अनुसार, 1 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर रामोजी फिल्म सिटी के पास कार सवार आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मदुपोजु करनाकर, चिनोला माणिक्य रेड्डी, चेरुकुपल्ली रत्नाकर रेड्डी और करणम अजय कुमार के रूप में हुई है।

जांच के दौरान कुंतलूर स्थित एक किराए के मकान में नकली नोट छापने का ठिकाना मिला। पुलिस ने यहां से छपाई मशीन, संगणक, नोट काटने की मशीन और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

जांच में सामने आया कि आरोपी एक लाख रुपये के असली नोटों के बदले तीन से चार लाख रुपये के नकली नोट देने का लालच देकर लोगों को फंसाते थे। इसके बाद गिरोह के सदस्य असली नोट दिखाकर खरीदारों का विश्वास जीतते और उनके साथी नकली पुलिस अधिकारी बनकर पहुंच जाते थे। वे खरीदारों को कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उनके असली रुपये लेकर फरार हो जाते थे।

पुलिस के अनुसार, गिरोह ने इस तरीके से दो अलग-अलग घटनाओं में दो लाख और तीन लाख रुपये की ठगी की। आरोपी नकली पुलिस पहचान पत्र और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर लोगों में डर पैदा करते थे। मामले में आगे की जांच जारी है।

वोट चोरी रैली में नहीं पहुंचे पदाधिकारियो को कांग्रेस ने किया निलंबित

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित वोट बचाओ, देश बचाओ रैली में गैरहाजिर रहे पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने मध्यप्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस के कुल 83 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें मध्यप्रदेश के 60, हरियाणा के 10 और हिमाचल प्रदेश के 13 पदाधिकारी शामिल हैं। कार्रवाई के दायरे में प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और जिलाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी भी आए हैं। रैली में भागीदारी सुनिश्चित नहीं करने पर संगठन ने जवाबदेही तय करने का संदेश दिया है।



गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ज्ञानेश कुमार को कथित अनियमितताओं के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन और मतदाता सूची से 13.5 करोड़ नाम हटाने के जरिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है।

राहुल गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश के लोकतंत्र तथा संविधान पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह संविधान से बड़ा नहीं हो सकता।

जीतने पर खुद को होशियार और हारने पर चुनाव आयोग को बताते हैं बेईमान - नड्डा

भोपाल।

भाजपा की ओर से बुधवार को राजधानी भोपाल में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली गई। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुनाव में हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को 'अबोध बालक' बताते हुए कहा कि उनकी राजनीति कॉलेज के उस विद्यार्थी जैसी है, जो परीक्षा में पास होने पर खुद को होशियार और फेल होने पर शिक्षक को बेईमान बताता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने पर प्रक्रिया को निष्पक्ष बताती है, लेकिन हारने पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगती है। राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है।



अटल पथ पर सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 90 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। आपातकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान करीब 1.30 लाख लोगों को जेल में डाला गया था। नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझ चुकी है कि जनता उसे आने वाले 20-30 वर्षों तक सत्ता में आने का अवसर नहीं देगी।

नड्डा ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा लगाए गए कथित वोट चोरी के आरोपों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा सबूत और हलफनामा मांगे जाने पर कांग्रेस पीछे हट गई। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आने वाले वर्षों में राजनीतिक रूप से सीमित अवसर ही मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर भी नड्डा ने नाराजगी जताई और कहा कि जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। उन्होंने 2027 में उत्तर प्रदेश और 2028 में मध्यप्रदेश के चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर न्यायालय और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी राजनीतिक लाभ लेने में लगे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के नेता हैं और जनता का विश्वास उनके साथ है। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि देश में अब तक हुए 12 विशेष गहन पुनरीक्षण में से 10 कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के सहयोग से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। भाजपा लोकतंत्र को बचाने और अराजकता हटाने के लिए संघर्ष करती रहेगी।

सरकार के माफियाओं को रोकने का दावा हवा हवाई

रेत के ओवरलोड डंपरों का बे रोक-टोक संचालन, पुलिस और खनिज विभाग देखकर भी कर रहे अनदेखा

माही की गूंज,पेटलावद। राकेश गेहलोत

इन दिनों मध्यप्रदेश शराब माफियाओं के आतंक की भेट एक थाना प्रभारी चढ़ गए ओर उनको जान गवानी पड़ी, जब से मध्यप्रदेश में माफियाओं के बढ़ते आतंक की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया ओर सरकार के दावे माफियाओं को रोकने के जमीन स्तर पर फेल नजर आ रहे है। शराब माफिया हो या रेत माफिया या खनिज माफिया हर ओर सरकारी साठ गांठ के चलते अवैध व्यापार फल फूल रहा है। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, सड़कों पर दौड़ते रेत से भरे ओवरलोड डंपर और जिम्मेदार विभाग की साठ गांठ का खुला प्रमाण है। पेटलावद क्षेत्र में रेत के कारोबार का ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। नगर में तड़के सुबह रेत से भरे डंपरों की आवाजाही लगातार होने के आरोप हैं। सुबह करीब 4 बजे से 6 बजे तक ये वाहन पेटलावद से रतलाम और धार जिले की ओर निकलते हैं। इतना ही नहीं, नगर में जगह-जगह रेत के अवैध ठिये होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, लेकिन स्थानीय खनिज विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई। दूसरी ओर, इंदौर से आई खनिज विभाग की उड़नदस्ते की टीम ने राणापुर में घेराबंदी कर तीन डंपर पकड़ लिए। इस कार्रवाई के बाद पेटलावद के खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।





इंदौर से आई उड़नदस्ते की टीम ने तड़के की कार्रवाई, तीन डंपर पकड़े

सोमवार तड़के इंदौर से आई खनिज विभाग की उड़नदस्ते की टीम ने राणापुर थाना क्षेत्र में दबिश देकर रेत का परिवहन कर रहे तीन डंपर पकड़े। टीम को रेत के अवैध परिवहन की जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर वाहनों को रोका। कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई कि डंपरों की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट पर कालिख पोती गई थी। एक वाहन पर आगे और पीछे नंबर प्लेट तक नहीं थी, जबकि एक अन्य वाहन पर पीछे नंबर लिखने की जगह तक नहीं थी।

कार्रवाई के दौरान दो डंपरों को राणापुर थाने में खड़ा करवाया गया, जबकि तीसरा डंपर तकनीकी खराबी के कारण रुक गया। पकड़े गए दो वाहनों के नंबर आरजे03 जीई 7015 और आरजे35 जीई 2576 बताए गए हैं। दोनों 16 टायर वाले डंपर हैं। इनके चालक संतोष भूरिया और अलकेश बताए गए हैं। वाहन मालिकों और दस्तावेजों की जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एक डंपर चालक ने तेज गति से भागने का प्रयास भी किया, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया।

नगर में जगह-जगह रेत के अवैध ठिये, फिर भी कार्रवाई नहीं

पेटलावद सहित पूरे क्षेत्र में डंपरों की आवाजाही तक सीमित नहीं है। नगर के अलग-अलग स्थानों पर रेत के ठिये संचालित होने और बड़ी मात्रा में रेत जमा कर कारोबार किए जाने की शिकायतें भी हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जगह-जगह रेत का भंडारण और बिक्री हो रही है, लेकिन खनिज विभाग ने आज तक इन स्थानों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। सवाल यह है कि इन ठियों पर रखी रेत कहां से आ रही है? क्या इसके भंडारण और बिक्री के लिए जरूरी अनुमति है? यदि सब कुछ नियमानुसार है तो विभाग जांच कर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता और यदि अनियमितताएं हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती?

181 पर शिकायत के बाद भी विभाग की कार्रवाई का इंतजार

रेत के अवैध परिवहन और ओवरलोड डंपरों की आवाजाही को लेकर नगरवासियों ने 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके बावजूद स्थानीय खनिज विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। नागरिकों का कहना है कि शिकायत के बाद भी न तो नियमित जांच दिखाई दे रही है और न ही सुबह के समय निकलने वाले वाहनों पर कोई प्रभावी निगरानी नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिकायतों के बाद भी विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? इस पूरे मामले में स्थानीय खनिज अधिकारियों की कथित मिलीभगत की साफ दिखाई देती है । नगर सहित बामनिया,रायपुरिया ,करवड़,सारंगी सहित जगह-जगह रेत के ठिये संचालित हो रहे हैं, तो जिम्मेदार विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी जुवान सिंह भिड़े से चर्चा की गई और उन्हें पेटलावद में प्रतिदिन रेत के ओवरलोड डंपरों की आवाजाही तथा जगह-जगह रेत के ठिये होने की जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा, आगे जो आप बता रहे हैं, इस मामले को दिखवाता हूं।

बाल्टी में रखकर बेच रहा गांजा पकड़ा

माही की गूंज, करवड़।



क्षेत्र में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पेटलावद पुलिस ने ग्राम करवड़ में कथित रूप से गांजा बेच रहे एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 किलो 280 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 हजार 600 रुपए बताई गई है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, 29 अक्टूबर को थाना पेटलावद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, ग्राम करवड़ में अंबे माता मंदिर के पास सारंगी मार्ग पर रुंडेवाला क्षेत्र में एक व्यक्ति प्लास्टिक की बाल्टी में गांजा रखकर कथित रूप से उसका अवैध विक्रय कर रहा है। सूचना के आधार पर एसडीओपी पेटलावद अनुरक्ति सबनानी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक निर्भयसिंह भूरिया के नेतृत्व में पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने मौके से राकेश पिता रमापति पाठक (50), निवासी करवड़ को पकड़ा। उसके कब्जे में रखी प्लास्टिक की बाल्टी की तलाशी लेने पर प्लास्टिक की थैलियों में रखा गांजा और बिक्री के लिए तैयार की गई कागज की पुड़ियां मिलीं।

उपाध्याय हुए सेवानिवृत्त, विभाग ने दी विदाई

माही की गूंज, पेटलावद।

माही कॉलोनी निवासी कमलेश उपाध्याय ने 14 मई 1999 को अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं। उनका सेवाकाल 30 अक्टूबर 2026 तक रहा। इस दौरान उन्होंने विभाग में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। अपने सरल, सहज और मिलनसार स्वभाव के चलते उन्होंने सहकर्मियों के बीच विशेष पहचान बनाई।

सेवानिवृत्ति के अवसर पर जल संसाधन विभाग के एसडीओ देवेंद्र डावर एवं समस्त स्टाफ ने कमलेश उपाध्याय का साफा बांधकर स्वागत किया। उन्हें शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके सेवाकाल की सराहना करते हुए उनके योगदान को याद किया और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

समारोह के दौरान परिवारजनों के लिए सहभोज का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में विभागीय कर्मचारियों ने कमलेश उपाध्याय के साथ बिताए समय को याद करते हुए उनके सरल व्यवहार और कार्यशैली की सराहना की। समारोह के अंत में परिवारजनों और सहकर्मियों ने ढोल-धमाकों के साथ उन्हें विदाई दी।



चौकी प्रभारी ने संभाली कमान

माही की गूंज, कुंदनपुर।

पुलिस महकमे में तबादले और पदस्थापनाएं विभागीय व्यवस्था का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन किसी महत्वपूर्ण पुलिस चौकी की कमान जब नए अधिकारी के हाथों में आती है तो उसके साथ क्षेत्र की जनता की उम्मीदें और अपेक्षाएं भी जुड़ जाती हैं। इसी क्रम में कुंदनपुर पुलिस चौकी को नया प्रभारी मिला है। उपनिरीक्षक गोवर्धन मकवाना ने चौकी प्रभारी के रूप में पदभार संभालते हुए क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ली है।

एसआई गोवर्धन मकवाना रतलाम, इंदौर, नीमच और पेटलावद जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस सेवा का अनुभव लेकर कुंदनपुर पहुंचे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान प्राप्त अनुभव अब कुंदनपुर जैसे सीमावर्ती ग्रामीण अंचल में उनकी कार्यशैली के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि हर क्षेत्र की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग होती हैं। लेकिन पुलिस सेवा का अनुभव अधिकारी को परिस्थितियों को समझने और कानून-व्यवस्था के अनुरूप निर्णय लेने में सहायक होता है।



कुंदनपुर पुलिस चौकी का क्षेत्र सामान्य ग्रामीण क्षेत्र भर नहीं है। गुजरात सीमा से सटे होने के कारण यहां पुलिस की जिम्मेदारियां भी कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सीमावर्ती मार्गों पर निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर, अवैध कारोबार पर नियंत्रण, अपराधों की रोकथाम और ग्रामीणक्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखना चौकी प्रभारी के सामने प्रमुख चुनौतियां रहेंगी।

रतलाम, इंदौर, नीमच और पेटलावद में पुलिस सेवा का अनुभव रखने वाले गोवर्धन मकवाना के सामने अब इस क्षेत्र की परिस्थितियों को समझते हुए अपनी कार्यशैली स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी। जनता की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि उनके अनुभव का लाभ स्थानीय पुलिस व्यवस्था को किस प्रकार मिलता है।

अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने की अपेक्षा

गुजरात सीमा से सटे झाबुआ जिले के इस क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार और परिवहन को लेकर समय-समय पर चर्चाएं और सवाल सामने आते रहे हैं। ऐसे में नए चौकी प्रभारी के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि अवैध शराब के परिवहन, संदिग्ध वाहनों और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही रात्रिकालीन गश्त, प्रमुख मार्गों पर पुलिस की सक्रियता और अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी प्राथमिकता में रहनी चाहिए।

मध्यान्ह भोजन रसोइयनों का फूटा गुस्सा, चार माह से मानदेय न मिलने पर सौपा ज्ञापन

माही की गूंज, पेटलावद।

तहसील क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों को पिछले चार महीने से मानदेय का भुगतान न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को समस्त रसोइयों ने एकजुट होकर एसडीएम रितिका पाटीदार से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।

प्रमुख बिंदु एवं समस्याएं

पेटलावद तहसील के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के लिए नियमित रूप से भोजन बनाने वाली रसोइयों को पिछले 4 माह से मानदेय नहीं मिला है। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार के नजदीक होने के बावजूद भुगतान न होने से परिवारों के सामने भरण-पोषण और दैनिक आवश्यकताओं की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। लंबे समय से हो रही इस लापरवाही से आक्रोशित रसोइयों ने मंगलवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहने तथा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन न बनाने का निर्णय लिया है। यदि दीपावली तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो दीपावली के बाद सभी रसोइये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।



ज्ञापन की मुख्य मांगें

पेटलावद तहसील के समस्त मध्यान्ह भोजन रसोइयों का विगत 4 माह का बकाया मानदेय तुरंत उनके बैंक खातों में जमा कराया जाए और भविष्य में रसोइयों को हर महीने समय पर मानदेय का भुगतान मिले। मानदेय मिलने में हो रही देरी के कारणों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए तथा रसोइयों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए त्योहार से पहले भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम रितिका पाटीदार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और सभी रसोइयों को आश्वस्त किया कि दीपावली से पहले भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं, बीआरसी रेखा गिरी ने जानकारी दी कि दीपावली से पहले रसोइयों के खातों में 2 महीने का वेतन जमा हो जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान दीपावली के बाद किया जाएगा।

अब प्रयास नही परिणाम चाहिए...

पेयजल की समस्या के लिए आंदोलन कर रहे लोग, आंदोलनकारी नहीं असंतुष्टों का जमावड़ा-कलसिंह भाभर

माही की गूंज, खवासा।
हरिश भटेवरा

खवासा क्षेत्र की हो रही उपेक्षा के साथ जहाँ खवासा व क्षेत्रवासी एकजुट होकर नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना व माही पेयजल परियोजना दोनो परियोजना 5 हजार करोड़ के लगभग की परियोजना होने के बावजूद खवासा क्षेत्र को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जिसके चलते पिछले एक वर्ष से अधिक समय से भाजपा समर्थित थांदला जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती माया प्रेमसिंह चौधरी के नेतृत्व में एकजुट होकर महिलाओं ने अपने आन्दोलन की शुरुआत की। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी नतीजे में सिर्फ आश्वासनों के पुलिन्दो के साथ क्षेत्रवासियों को महज गुमराह ही किया जा रहा है। जिसके बाद दलगत व श्रेय की राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दल के स्थानीय नेता व आमजन ने उक्त मूलभूत समस्या का समाधान 16 नवंबर तक नहीं किये जाने पर आन्दोलन को बड़ा रूप दिये जाने का आव्हान किया है। जिसको लेकर खवासा में बैठक रखी गई एवं कलेक्टर झाबुआ को पेयजल के स्थाई समाधान हेतु माँग पत्र दिया गया।



वही माहौल को संतुलित करने के लिये थांदला पूर्व विधायक कलसिंह भाभर ने स्थानीय ग्राम पंचायत पर प्रेसवार्ता रखी। भाभर ने प्रेसवार्ता में कहा कि, एक वर्ष के अन्दर खवासा क्षेत्र को नर्मदा सिंचाई परियोजना व माही पेयजल परियोजना का लाभ खवासा एवं क्षेत्रवासियों को सीएम से बात कर लाभ दिलवाऊँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा।

कलसिंह भाभर ने भाजपा सरकार एवं अपने विधायक रहते जो कार्य विधानसभा एवं खवासा क्षेत्र के लिये कार्य किये उन कार्यों को बताया गया। लेकिन जिन कार्य का पूर्व विधायक साहब ने पत्रकारो एवं आमजन को बताया उन कार्यों की हकीकत जमीनी स्तर पर क्या है ? उस पर अपनी टिप्पणी नहीं दे पाए और सरकार को निर्दोष बताते रहे।

पत्रकारों ने सवाल किया कि, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा ही है, ऐसे में बेबस होकर लोगों का पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिये आन्दोलन करना...?

जब नर्मदा सिंचाई परियोजना की नींव 2018 में रखी गई तब आप (कलसिंह भाभर) सरकार का हिस्सा थे फिर भी योजना से खवासा को वंचित क्यों रखा गया...?

खवासा क्षेत्र की उपेक्षा के साथ माही पेयजल परियोजना व नर्मदा सिंचाई परियोजना दोनों खवासा क्षेत्र की परिसीमा में होकर योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, तो खवासा व क्षेत्र को दोनों परियोजनाओं से वंचित क्यों रखा गया...?

जिस पर कलसिंह भाभर अपनी राजनीतिक शब्दो के साथ 50 साल के कांग्रेस की सत्ता की विफलता व 2003 भाजपा सरकार के बाद क्षेत्र का विकास होने की बात कही। वही पेयजल समस्या के निजात एवं दोनों परियोजना के लाभ हेतु खवासा एवं क्षेत्र द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में भाभर ने कहा, यह आन्दोलन का रूप नहीं है सिर्फ असंतुष्ठो का जमावड़ा है। तथा कलसिंह भाभर ने माना कि, यह आन्दोलन हो रहा है उसे आन्दोलन नहीं कहा जा सकता यानि कलसिंह भाभर बडे रूप से होने वाले आन्दोलन को ही आन्दोलन मानते है।

कलसिंह भाभर ने आश्वासन देते हुए कहा कि, मैंने सम्बन्धित विभाग एवं सीएम से भी बात की है और कल भी जाकर उक्त समस्या को सीएम के सामने रखूँगा। और एक साल के अन्दर खवासा एवं क्षेत्रवासियों को दोनों परियोजना का लाभ दिलवाऊँगा अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो चुनाव नहीं लड़ूँगा की घोषणा की। माही पेयजल परियोजना को परोलिया तक ले जाने की बात श्री भाभर ने कही।

जिस पर स्थानीय लोगों ने भी सवाल किये कि, इस तरह के आश्वासन पहले भी मिले हैं लेकिन समाधान नहीं हुआ। जिसपर भाभर ने जवाब दिया कि, जो मैंने कहा वह करके दिखाऊँगा। वही प्रेसवार्ता के बाद माही की गूंज प्रतिनिधि ने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकिट मिलने की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए एक साल के अन्दर दोनों परियोजना का लाभ खवासा क्षेत्रवासियों को मिले...? जिसपर भाभर ने कहा, मैं चुनाव लड़ूँगा या नहीं लड़ूँगा यह बाद की बात है पर इसका रिजल्ट लोगों के सामने 5 दिन के अन्दर आ जाएगा कहा।

वही खवासावासी अब प्रयास पर नहीं परिणाम पर बात कर रहे हैं। आगे 16 नवंबर से किये जाने वाले आन्दोलन की बात व दिए जा रहे आश्वासन किस मोड़ पर जाते हैं यह बाद में ही पता चलेगा।

दीपावली बाद छोड़ा जा सकता है नहरों में पानी



माही की गूंज, बरवेट। जगदिश प्रजापत

जल संसाधन विभाग की जल वितरण समिति के हालिया फैसलों के अनुसार, माही परियोजना की नहरें अब 11 नवंबर से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की तैयारी में लगा है, जबकि पहले इन्हें नवंबर के पहले सप्ताह दीपावली के पहले खोलने की तैयारी थी।

इधर विभाग का कहना है कि, नहरों को खोलने की तारीख में यह बदलाव रबी सीजन की फसलों की सिंचाई और जल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया है। पेटलावद नगर को पेयजल सप्लाई करने वाला बोराली तालाब भी भरा जाएगा। वही नहरों की साफसफाई का खानापुर्ति कार्य अंतिम दौर में चल रहा है।

गौरतलब है कि, अबकी बार अल्प बरसात होने से माही डैम में पानी का भराव ओसत से कम भराया है, अभी वर्तमान में रबी सीजन के लिए दो पानी दिए जायेंगे। यानी की दो माह से कम नहरों ने पानी वितरण करना है। साथ ही दीपावली का त्योहार होने के कारण ग्रामीण, नहरों के पानी का ऊपयोग नही कर पाते और पानी व्यर्थ बह जाता। पानी की व्यर्थ बर्बादी न हो उसके लिए दीपावली के त्योहार के बाद पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्देश जारी

इस बार माही डैम और मुख्य नहरों से लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की सिंचाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसको पूरा करने के लिए विभाग द्वारा नहरों पर पेट्रोलिंग की जायेगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष कम वर्षा के कारण बांध में पानी की उपलब्धता काफी कम है। इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वे कम पानी की खपत वाली फसलें बोएं, ताकि अंतिम छोर (टैंक और टेल एरिया) तक पानी सुचारू रूप से पहुंच सके।

निगरानी की जाएगी

पानी की बर्बादी और अवैध लिफ्टिंग सिंचाई को रोकने के लिए विभाग द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि पूरे कमांड क्षेत्र को समान रूप से पानी मिल सके। जो भी किसान कमांड एरिया के अलावा अवैध पानी लिफ्ट कर के जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि, माही नहरों से सिंचाई के लिए ले रहे पानी का कर जमा करवाए।

विपिन पाटीदार ईई जलसंसाधन विभाग झाबुआ ने बताया कि, माही नहरों से सिंचाई के लिए दो पानी दिए जायेंगे। 23 हजार हेक्टेयर कमांड एरिया में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। किसानों की मांग अनुसार पानी दिया जाएगा। किसानों से परामर्श करके पानी छोड़ने का डिसीजन बदला गया है। 11 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा। अवैध लिफ्ट एरिगेशन के लिए निगरानी रखी जायेगी। पेटलावद पेयजल के लिए बोरली तालाब में अभी से ही पानी छोड़ा जाएगा।

लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की मनाई जयंती

माही की गूंज, सारंगी।

देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई गई। शोभायात्रा में नारी शक्ति सहित समाजजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की शोभायात्रा पाटीदार धर्मशाला से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई बस स्टैंड स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्थल पर पहुंची। यहां सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की गई। इसके पश्चात उपस्थित समाजजनों एवं महिलाओं द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।



राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, सुविधाओं का अभाव

माही की गूंज, सीतामऊ। राज्य स्तरीय शालेय बास्केटबाल प्रतियोगिता की व्यवस्थाएं दूसरे दिन भी पटरी पर नहीं आई। आयोजन में खिलाड़ियों के लिए मेडिकल इमरजेंसी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव रहा। रविवार रात में खेल प्रतियोगिता के बाद सागर रीवा क्षेत्र के एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई थी, जिसके प्राथमिक उपचार के बाद एक्सरे के लिये शासकीय अस्पताल ले जाना था, लेकिन आयोजन स्थल पर एंबुलेंस ही मौजूद नहीं थी। सोमवार दोपहर बाद एक खिलाड़ी को कमजोरी एवं बुखार जैसे लक्षण दिखने पर अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन सोमवार को भी प्रतियोगिता करवा रहे जिम्मेदार अधिकारी मैदान पर एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करवा पाए। आनन-फानन में नगर परिषद की एंबुलेंस को बुलवाया गया एवं दोनों खिलाड़ियों के साथ कोच, मैनेजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ पहुंचे। यहां भी चोटिल हुई खिलाड़ी को एक्स-रे के लिये इंतजार करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम से अंजान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रभारी एवं श्रीराम विद्यालय के प्राचार्य सहित चिकित्सा व्यवस्था के जिम्मेदार कुर्सियों से भी नहीं हिले। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अव्यवस्थाओं की जानकारी के बाद विधायक हरदीपसिंह डंग ने भी जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। सत्ता पक्ष से जुड़े जिन अतिथियों तक आमंत्रण पत्र नहीं पहुंचे उनकी भारी नाराजगी के चलते आयोजन से जुड़े कर्ता-धर्ताओ ने सब ठीक करने के लिये आनन-फानन में आयोजन के दूसरे दिन खिलाड़ियों से परिचय करवाने के बहाने आमंत्रण भेजे।

दुर्गा वाहिनी का शक्ति संचलन का हुआ आयोजन, जय घोष के साथ प्रमुख मार्गों से निकली बालिकाएं

माही की गूंज, पेटलावद।

विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी प्रखंड के तत्वावधान में धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और नारी शक्ति के संकल्प के साथ एक शक्ति संचलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मातृशक्ति और युवा बालिका वर्ग ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्षा दीदी राठौर द्वारा की गई। मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में वीर रस के ओजस्वी कवि एवं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत विमर्श प्रमुख मुकेश मोलवा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही प्रखंड अध्यक्ष रवि राज पुरोहित एवं दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका शिल्पा वर्मा ने भी मंच पर आसीन रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुख्य वक्ता ओजस्वी कवि मुकेश मोलवा ने अपने ओजस्वी भाषण में वर्तमान पीढ़ी और जेन-जी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्य रूप से आज की युवा पीढ़ी जेन-जी को अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रधर्म से जुड़े रहने की आवश्यकता है। उन्होंने मातृशक्ति का आह्वान करते हुए कहा कि जब-जब समाज में वैचारिक चुनौतियां आई हैं, तब-तब नारी शक्ति ने आगे बढ़कर उसका मार्गदर्शन किया है।



वीर रस से ओत-प्रोत उनकी कविताओं और पंक्तियों ने उपस्थित युवतियों में राष्ट्रभक्ति का एक नया संचार किया। मुकेश मोलवा ने कहा मातृशक्ति की जागृति से ही एक सशक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है।

अतिक्रमण की चपेट मे बायपास अवरूद्ध



सड़क किनारे बने मंदिर को लोहे की जाली से सड़क से सटकर बायपास टर्निंग पाईंट कवर किया जो भी परेशानी का कारण।

माही की गूंज, खवासा। सुनिल सोलंकी

किसी भी गाँव या नगर के गाँव के बाहर से निकलने वाला मार्ग मेन मार्ग पर जाता है तो उसे बायपास कहा जाता है। और गाँव या शहर के मुख्य मार्ग पर यातायात जाम न हो इस हेतु सीधे गाँव के बाहर से निकलने वाले बायपास पर भारी-भरकम वाहनों के साथ चार पहिया वाहनों की भी आवाजाही रहती है।

इसी प्रकार खवासा में भी गोपाल मंदिर से सट्टा मार्ग जो बामनिया-थान्दला मार्ग को जोड़ता है और भारी-भरकम वाहन उक्त मार्ग कच्चा होने के बावजूद उक्त बायपास से ही गाँव में यातायात जाम न हो के साथ आते-जाते हैं। लेकिन गोपाल मंदिर से सड़क किनारे पर ही एक नया बजरंगबली मंदिर का निर्माण कर दिया। और उक्त मंदिर निर्माण के साथ ही मंदिर को कवर करने हेतु सड़क से सटकर ही टर्निंग पाइंट पर ही लोहे की जाली से बाउण्ड्रीवाल बनाई गई। उक्त बनी बाउण्ड्रीवाल पर भी सवाल हुए तो कहा गया कि, बजरंगबली मंदिर व गोपाल मंदिर के बीच से निकल रहे बचे रास्ते से भारी-भरकम वाहन उक्त बायपास से जाने हेतु सुविधाजनक रहेंगे। लेकिन पहले मंदिर बनाने के साथ सड़क से सटाकर बाउण्ड्रीवाल बनाकर सड़क का टर्निंग पाइंट अवरुद्ध किया गया। उक्त धार्मिक अतिक्रमण के बाद अब जो बजरंगबली व गोपाल मंदिर के बीच से जाने वाले सीधे मुख्य मार्ग पर व्यापारियों ने ठेलागाड़ियाँ-तंबू स्थाई रूप से लगाकर उक्त मार्ग को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया। उक्त मार्ग को सुचारु रूप से संचालित कराने में स्थानीय पुलिस व ग्राम पंचायत बाड़ी भी पूरी तरह से विफल ही साबित हो रही है। वहीं भारी-भरकम वाहन चालकों व इन अतिक्रमणकर्ताओं के बीच विवाद होकर वाहन निकालने के लिए आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं गाँव में होकर बडे वाहन निकालने पर बड़ा यातायात बाधित होता है तथा अनचाही दुर्घटना का भी डर बना रहता है।

मंगलवार को स्थानीय चालक जब अपने खाली भारी-भरकम ट्रेलर को बामनिया बायपास से लाकर बाजना मार्ग पर जा रहा था। और उक्त दुकानों या मंदिर की जाली को हटाने की बात के साथ वाहन जाने में परेशानी होने पर वाहन को मुख्य सड़क टर्निंग पाइंट पर खड़ा करने को मजबूर होना पड़ा। जब यातायात बाधित हुआ तो मौके पर सरपंच प्रतिनिधि शंकर खराड़ी व स्थानीय पुलिस भी पहुँची। वही पुलिस ने वाहन चालको को समझा बुझाकर यातायात चालू करवाया। लेकिन मुख्य मार्ग पर जो रास्ता अवरुद्ध करके बैठे हैं उस अतिक्रमण को हटाने की बजाए पुलिस कहती नजर आई कि, ग्राम पंचायत जब अतिक्रमण हटाएगी तो पुलिस उनके साथ आएगी।



मंगलवार को सडक अतिक्रमण के चलते इस तरह से हुआ जाम और लोगो की भीड़ पुलिस व पंचायत को कोसती रही।



दो मंदिर के बीच से सीधे बायपास मुख्य सड़क पर ही दुकानें लगाकर मार्ग किया अवरूद्ध।

वहीं ग्राम पंचायत सचिव कान्तिलाल परमार ने फोन लगाकर पत्रकार के साथ अन्य लोगों को कहा कि मैं, थान्दला में हूँ और एक-दो दिन में उक्त अवरुद्ध मार्ग से अतिक्रमण हटाने के साथ चालू कर दिया जाएगा। जब यातायात बाधित हुआ तो स्थानीय कई लोग मौके पर पहुँचे जो वाहन चालकों की समस्या को सही ठहराया और पुलिस तथा पंचायत बाड़ी को कोसते नजर आए। लोगों का कहना था कि, यह कैसी निठली पुलिस है जो अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने की बजाए वाहन चालक को डराने का प्रयास किया जा रहा है। तथा ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते हो रही परेशानियों पर भी सवाल उठाए।

उक्त बायपास मार्ग के पक्के निर्माण की मंजूरी भी मिल गई है, ऐसा पूर्व में पंचायत के प्रतिनिधियों ने बताया था लेकिन यहाँ पक्का निर्माण तो ठीक अतिक्रमण के चलते उक्त बायपास ही अवरुद्ध है, जिसका निदान भी ग्राम पंचायत करने में असफल ही साबित हो रही है।

संपादकीय

गरीबी के आंकड़े



विश्व बैंक की निर्धनता एवं समानता संबंधी रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच देश में करीब पचास करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकाले गए। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अत्यधिक निर्धन वर्ग के लोगों की संख्या में भी करीब पच्चीस फीसदी की कमी आई है। यह संख्या अब घटकर कुल आबादी की 2.6 फीसदी रह गई है। दावा किया जा रहा है कि निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की तादाद में भारी कमी आ रही है। निस्संदेह, इन आंकड़ों को लेकर सरकारें अपनी पीठ थपथपा सकती हैं। कहा जा रहा है कि राजग सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की इसमें अहम भूमिका रही। लेकिन सवाल यह है कि ये आंकड़े कितने प्रामाणिक हैं और क्या विज्ञान-सम्मत तरीके से लिये गए हैं? अर्थशास्त्र में आंकड़ों को लेकर एक मशहूर उक्ति है- 'आंकड़े ऐसी कच्ची मिट्टी है, जिससे देवता और दैत्य दोनों बनाए जा सकते हैं।' यानी सरकारें उनका उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकती हैं। हालांकि, गरीबी में कमी की यह शुरुआत संप्रग सरकार के समय के आंकड़ों के साथ की गई है। जिसकी समयावधि वर्ष 2011 से शुरू होती है। राजग सरकारों के कार्यकाल में जरूर अधिक समय को अध्ययन में शामिल किया गया है। जिसमें निर्धनता की आई कमी के कारणों में खपत में वृद्धि, रोजगार और खासकर महिलाओं के रोजगार में वृद्धि, सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा खाद्य सब्सिडी जैसे कार्यक्रम को शामिल किया गया है। लंबे समय से देश राजनेताओं के गरीबी हटाओ के नारों व कार्यक्रमों का साक्षी रहा है। लेकिन उन कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि गरीब कल्याण की योजनाओं का कितने कारगर ढंग से क्रियान्वयन हुआ। कितनी ईमानदारी से गरीब के हाथ में कल्याण योजनाओं की राशि पहुंची। बहरहाल, राजग सरकार का दावा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को इससे बाहर निकालने में जन-धन योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना,घर-घर शौचालय, घर-घर नल व आयुष्मान योजना की बड़ी भूमिका रही है।

एक समय था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि लोककल्याण के कार्य हेतु आवंटित हुए एक रुपये में से सिर्फ पंद्रह प्रतिशत ही जरूरतमंद के हाथ में पहुंचता है। हालांकि, न खाऊंगा और न खाने दूंगा के उद्घोष के बाद वास्तविक स्थिति में क्या बदलाव आया, यह अध्ययन का विषय होना चाहिए। हालांकि, विपक्षी नेता इस स्थिति के बावजूद मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम की जरूरत को लेकर भी सवाल उठाते हैं। यह सुखद है कि देश में कुछ जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर मिला। लेकिन देश में अक्सर यह सवाल उठाया जाता रहा है कि जब भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, तो लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव क्यों नहीं आता? क्यों देश में अमीरी-गरीबी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है? सही मायने में किसी देश में होने वाला विकास न केवल तर्कसंगत होना चाहिए, बल्कि न्यायसंगत भी होना चाहिए। वैसे यदि वास्तव में आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबी में कमी आई है तो यह हमारे लिये उत्साहजनक स्थिति है। यह जानते हुए कि इस अवधि में हमने कोरोना का भयावह काला दौर देखा था। भारी संख्या में जनधन की हानि हुई, लेकिन अब ये अतीत की बातें बन चुकी हैं। बहरहाल, विश्व बैंक के आंकड़ों के आलोक में केंद्र सरकार को देश में गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसरों में तुरंत वृद्धि करनी चाहिए। उसे महसूस करना चाहिए कि देश में युवा सड़कों पर क्यों हैं। उसके लिये अवसरों की कमी क्यों हो रही है? देश में आय की असमानता कैसे दूर होगी? निस्संदेह, भारत एक श्रमप्रधान देश है। देश की बड़ी आबादी सघन श्रमशक्ति वाले उद्योगों से जुड़ी है। ऐसे में जब पश्चिमी देशों में एआई केंद्रित उत्पादकता पर बल दिया जा रहा है, तो भारतीय श्रमप्रधान उद्योगों को बचाने की जरूरत होगी। तभी हमारे देश में आर्थिक असमानता दूर करने और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य पाये जा सकेंगे।

महारैली की भीड़ ही नहीं मुद्दों को भी देखिए



विश्वनाथ सचदेव

मुद्दा महत्वपूर्ण होता है अथवा कोई मुद्दा उठाने वालों की संख्या? राजधानी दिल्ली में हुई विपक्ष की 'महारैली' के संदर्भ में यह सवाल उठाया जा रहा है। यह सही है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन 'इंडिया' ने दावा किया था कि 'लोकतंत्र बचाओ' वाले इस अभियान में देशभर से दस लाख नागरिक राजधानी में एकत्र होंगे। यह भी सही है कि सारी गणनाएं बता रही हैं कि उस दिन दिल्ली में देश भर से आने वालों की संख्या दस लाख नहीं थी। प्रदर्शन में शामिल होने वालों को किसी ने गिना नहीं, यह संभव भी नहीं होता। इस गणना के हमेशा अनुमान ही लगाए जाते हैं।

'महारैली' आयोजित करने वाले लाखों की उपस्थिति के अपने दावे पर अड़े हुए हैं और भाजपा के सारे नेता इस संख्या को सत्ताईस हजार से लेकर सत्तर हजार तक बताने में लगे हैं। प्रदर्शन करने वालों की संख्या कुछ भी हो, यह स्पष्ट दिख रहा है कि सत्तारूढ़ पक्ष इस 'भारी जमावड़े' से कुछ विचलित है। जिस तेज़ी से भाजपा के नेता देश भर में 'अराजकता हटाओ' की अपनी मुहिम में लग गए हैं, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि 'लोकतंत्र बचाओ' का मुद्दा देश की राजनीति को कहीं गहरे तक प्रभावित कर रहा है।

महत्वपूर्ण यह नहीं है कि राजधानी में हुए इस प्रदर्शन में कितने हजार या कितने लाख लोग शामिल हुए थे, महत्वपूर्ण वह मुद्दा है जो प्रदर्शनकारी उठा रहे थे। मुद्दा कथित वोट चोरी का था और इस प्रदर्शन से विपक्ष इसे देशव्यापी जन-आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रयास की सफलता का आकलन भी तत्काल संभव नहीं है, पर इतना अवश्य स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर विपक्ष का चलाया जाने वाला यह अभियान जनता की चिंता का विषय बनने लगा है। सत्तारूढ़ पक्ष भले ही कुछ भी कहता रहे, पर विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता और कार्यकर्ताओं का जोश इसे बहुत हद तक सफल बता रहा है। सफल इस माने में कि आम मतदाता भी इस बारे में सोचने लगा है कि 'वोट चोरी' के आरोप में कहीं कुछ गंभीरता है। यह सही है कि ऐसी स्थितियों में तत्काल परिणाम सामने नहीं आते, पर ऐसे प्रयास आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने लगते हैं।



विपक्ष ने अपने इस प्रयास को 'लोकतंत्र बचाओ' का नाम दिया है। उसका आरोप है कि सत्तारूढ़ पक्ष 'बेईमानी' से सत्ता में आया और बेईमानी से ही सत्ता में बना हुआ है। दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष को अराजकतावादी कहकर यह बताना चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बहाने विपक्ष सत्ता-परिवर्तन चाह रहा है और इसके लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है। हालांकि इस सीमा को परिभाषित नहीं किया जा रहा, पर यह संकेत तो मिल ही रहा है कि राजनीति के इस खतरनाक खेल में राजनेता कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं।

विपक्ष की इस 'महारैली' से पहले सत्तारूढ़ पक्ष ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज की थी कि कांग्रेस उसी तारीख को यह आयोजन क्यों कर रही है, जब बयालीस साल पहले 1984 में राजधानी दिल्ली में सिख-विरोधी दंगे हुए थे। ज्ञातव्य है कि 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद देशभर में, विशेषकर दिल्ली में, बड़े पैमाने पर सिख-विरोधी हिंसा, आगजनी और कत्लेआम हुआ था। एक से तीन नवंबर तक सिखों के विरुद्ध यह हिंसा चलती रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए सिख-विरोधी दंगे स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक शर्मनाक काला अध्याय है। इस अध्याय को इसलिए तो याद रखना चाहिए कि फिर कभी ऐसा कांड देश में न हो, पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उसे याद करना देश के घावों को फिर से हरा करना ही होगा। यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर एक नवंबर को यह रैली रखी, घटिया राजनीति का ही एक उदाहरण है।

बहरहाल, विपक्ष का 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा और सत्तारूढ़ पक्ष का 'अराजकता हटाओ' का नारा कुल मिलाकर एक-दूसरे के पूरक ही हैं। मतदाता सूचियों के लिए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वे निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं। देश के 19 करोड़ मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएं, यह बात किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगती। मतदाताओं का निधन हो जाना, स्थानांतरण कर जाना आदि तर्क गलत नहीं हैं, पर एक भी मतदाता का मतदान के अधिकार से वंचित हो जाना हमारी चुनाव-प्रणाली की कमी ही दर्शाता है। ऐसी हर कमी दूर होनी चाहिए। इस आशय की मांग को अराजकतावाद से जोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता। और यह भी उचित नहीं है कि घुसपैठियों को भगाने के नाम पर दलगत हितों के लिए मतदाता सूची में फेर-बदल हो!

घुसपैठियों, विशेषकर बांग्लादेशियों, को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यह तो सही है, पर सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि तीन करोड़ विदेशी भारत में कैसे रह रहे हैं। हां, पहली बार देश के गृहमंत्री ने देश में तीन करोड़ घुसपैठियों के होने की बात स्वीकार की है। यह सवाल तो सरकार से पूछा ही जाना चाहिए कि इतने घुसपैठिए देश में घुसे कैसे और देश में रह कैसे रहे हैं? गृहमंत्री यह आरोप भी लगा रहे हैं कि विपक्ष इन घुसपैठियों को अपने वोट बैंक की तरह देखता है। इस आरोप की पुष्टि भी होनी चाहिए।

राजधानी दिल्ली में हुई विपक्ष की 'महारैली' की सफलता-असफलता के संदर्भ में ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इनकी जांच-पड़ताल होनी ही चाहिए। लेकिन सफलता-असफलता इस आधार पर तय नहीं हो सकती कि कितने लोग रैली में एकत्र हुए अथवा कितने लाए गए या अपने आप आए। इस सबका आकलन इस बात से होना चाहिए कि जो मुद्दे इस रैली में उठे, देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका कितना महत्व है। आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि देश की जनता इन मुद्दों के बारे में क्या सोच रही है। यदि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गड़बड़ियां हुई हैं तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों-एजेंसियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए।

निस्संदेह, दलगत राजनीति के स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश की चुनाव-प्रणाली के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी स्वीकार्य नहीं हो सकती। दशकों पहले चुनावी रैलियों में यह गीत गाया जाता था कि 'हे मतदाता, तेरे कर में वोट नहीं, यह तुलसी दल हैं'। इस पवित्र पर्चे की पवित्रता की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की सभाओं में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए–और इन सभाओं-आयोजनों की सफलता का आकलन भी इसी आधार पर होना चाहिए, न कि यहां आने वालों की संख्या के आधार पर।

वैध-अवैध खनन से गंभीर पर्यावरणीय क्षति

सत्ताईस मार्च, 2025 को लोकसभा में हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में अवैध नदी खनन तथा उससे जनजीवन और पारिस्थितिकी को हो रहे नुकसान का गंभीर मुद्दा उठाया था। वहीं, राज्य सरकार के सचिव का जवाब पर्यावरणीय दुष्प्रभावों पर मौन रहा और मुख्यतः इस तर्क पर केंद्रित रहा कि यदि अवैध खनन हो रहा होता, तो राज्य का खनन राजस्व कैसे बढ़ता?

उत्तराखंड में ही शराब की बिक्री से राज्य का राजस्व दिन दूना, रात चौगुना बढ़ रहा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि राज्य में अवैध शराब की तस्करी और निर्माण नहीं हो रहा है? देहरादून जिले में ही डोईवाला, विकासनगर, रायपुर और ऋषिकेश के क्षेत्रों में अवैध खनन हो रहा है। श्रीनगर और कोटद्वार से भी राजधानी तक अवैध खनन की जानकारी है। आज उत्तराखंड में नदियों से अवैध रेत-बजरी का खनन लगातार 'हिंसक' होता जा रहा है।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का अपने कार्यकाल के दौरान एक सार्वजनिक बयान था कि बिना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के किसी भी नदी में खनन गतिविधि नहीं होगी। तब ऐसा कहना सरकार की मजबूरी थी। नदी खनन को अधिकांशतः राजस्व का विषय भर मान लिया जाता है, जबकि यह वास्तव में पर्यावरण का विषय भी है। जहां तक नदी खनन के पारिस्थितिकीय प्रभावों की बात है, वे केवल अवैध खनन से ही नहीं, बल्कि वैध खनन से भी हो सकते हैं। इसीलिए आज उन मानदंडों को लेकर सार्वजनिक बहस होना भी जरूरी है, जिन्हें नदियों में खनन की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए सभी राज्यों में अनिवार्य किया जाना चाहिए।



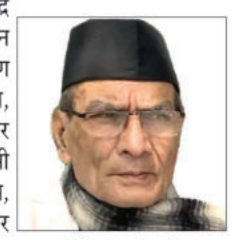
नदियों में खनन का यथार्थ यही रहा है कि जितने खनन की अनुमति ली जाती है, उससे कई गुना अधिक खनन होता है। वैज्ञानिक जब नदियों में खनन के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करते हैं तो वे यह भी देखते हैं कि नदियों में बहकर आने वाली मिट्टी, बजरी और पत्थरों की रासायनिक एवं खनिज संरचना क्या है। नदियां कई जगह धात्विक और आणविक खनिज भी बहाकर लाती हुई देखी गई हैं। नदी में रहते हुए इन खनिजों का वनस्पति, जल और जलीय जीवों की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है? इनकी निकासी से क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्हें खुले में किन सावधानियों के साथ रखा जाना चाहिए? नदी खनन के पारिस्थितिकीय प्रभाव आकलन में नदी के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में भूजल स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव, किनारों के कटाव, नए भूस्खलन, भूधंसाव और भूक्षरण की आशंका वाले क्षेत्रों का भी उल्लेख होना चाहिए।

राज्यों में पार्कों और अभयारण्यों के पास की नदियों में खनन के दौरान मशीनों से उत्पन्न होने वाले शोर और रोशनी तथा पार्क की सीमा से कम से कम दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा-निर्देशों की कसौटी पर भी नदी खनन के पारिस्थितिकीय प्रभाव आकलन को परखा जाना चाहिए। मानक तय होने के बाद भी यदि खनन माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ बरकरार रहे तथा सब कुछ खनन की मात्रा, भंडारण क्षमता, भंडारण स्थल और नदी के पाटों में मशीनों के संचालन तक ही सीमित रहे तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रभावित होंगे ही।

मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार ने भी यह पाया था कि बिना पर्यावरणीय क्लीयरेंस के नदी खनन के पट्टे दे दिए गए हैं। वर्ष 2013 के अंतिम महीनों में नदियों में अवैध खनन रोकने के लिए गठित टास्क फोर्स ने करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी थी। एक ही रवन्ने पर कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में खनिज निकाला गया।

नदियों में खनन से उनके पार्श्ववर्ती क्षेत्रों और तल के भूजल स्तर एवं स्वरूप पर भी असर पड़ता है। नदियों के किनारे स्थित उन सतही जलाशयों और जल भंडारण वाले क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जहां मछलियां या अन्य जलीय जीव अंडे देने और प्रजनन के लिए आते हैं। हाथी और अन्य वन्यजीव भी पानी पीने या भोजन की तलाश में इन क्षेत्रों में आते हैं। प्रवासी पक्षियों के प्रवास पर भी इसका असर पड़ता है। वनस्पतीय जैव विविधता भी प्रभावित हो सकती है। नदियों में खनन का असर उनके जल की रासायनिक गुणवत्ता पर भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भूक्षरण, सिंकहोल, जैव विविधता और शोर के स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। बरसात के दिनों में इन नदियों की सहायक नदियों में गाद की मात्रा बढ़ जाती है।

उत्तराखंड जैसे राज्यों में नदियों के खनन या चुगान के नियंत्रणकारी अधिकार वन विभाग को दिए गए हैं। यदि नदियों में खनन का पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय प्रभाव न होता, तो केंद्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय गौला, रामगंगा और आसन जैसी नदियों में कब, कब तक और कहां-कहां खुदान एवं चुगान का काम होगा, यह क्यों तय करता? निस्संदेह, पर्यावरणीय पहलुओं के अलावा नदियों के खनन के आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक विकास से जुड़े पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हद तो यह है कि घोषित इको-सेंसिटिव और वन क्षेत्रों में भी अवैध रेत खनन हो रहा है। कुल मिलाकर तथ्य यह है कि प्रशासन की मदद के बिना अवैध खनन संभव नहीं है।



वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

नदी खनन के मानक और पद्धतियां पारदर्शी होनी चाहिए। ग्राम सभाओं से भी उनके क्षेत्र की नदियों में खनन के संबंध में सुझाव लिए जाने चाहिए। खनन की अनुमति दिए जाने पर संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और जनसुनवाई कराई जाए। नदी परियोजनाओं के मामले में तो ये प्रक्रियाएं महज खानापूर्ति बनकर रह जाती हैं।

स्कूलों को सुरक्षित बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी



डॉ. पुनित अरोरा

विद्यालय को बच्चे का दूसरा घर कहा जाता है। माता-पिता जिस विश्वास के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसकी बुनियाद इस भरोसे पर होती है कि वहां उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब विद्यालय परिसर में ही किसी बच्चे की जान पर बन आए, तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, संस्थागत जवाबदेही और सामाजिक चेतना की परीक्षा बन जाती है।

पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित विद्यालय में बीते दिन हुई घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। तीसरी कक्षा के आठ वर्षीय छात्र ने केजी में पढ़ने वाली छह वर्षीय बच्ची पर कथित रूप से ईंट और अन्य वस्तुओं से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा किए गए विद्यालय परिसर के निरीक्षण में कई प्रश्न सामने आए। इन प्रश्नों के उत्तर निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आने चाहिए। वहीं, शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों और प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है तथा जांच समिति गठित की गई है। पुलिस ने भी कथित लापरवाही के संबंध में मामला दर्ज किया है।

इस घटना में पीड़ित बच्ची के साथ-साथ कथित रूप से हमला करने वाला आठ वर्षीय छात्र भी कानून की दृष्टि में बच्चा है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 20 सात वर्ष से कम आयु के बच्चे के आपराधिक कृत्य को संवेदनशील ढंग से देखती है, जबकि धारा 21 के अनुसार, सात से बारह वर्ष के बच्चे के मामले में यह देखना आवश्यक है कि उसे अपने कृत्य की प्रकृति और परिणाम समझने की पर्याप्त परिपक्वता थी या नहीं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का मूल उद्देश्य दंड के बजाय सुधार और पुनर्वास है। अतः बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, पारिवारिक वातावरण की पड़ताल और उचित परामर्श आवश्यक हैं। यदि उसके व्यवहार को लेकर पहले शिकायतें थीं, तो यह भी जांचना होगा कि समय रहते उसे सहायता क्यों नहीं मिली।



शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाती है, जबकि धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्यों को निर्धारित करती है। प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि विद्यालय में प्रभावी निगरानी, ड्यूटी रोस्टर, अनुशासन और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था हो। शिक्षकों का दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि बच्चों के व्यवहार में असामान्य बदलाव और संभावित जोखिम के संकेतों को पहचानना भी है।

बच्चे का व्यक्तित्व केवल विद्यालय में नहीं बनता। परिवार उसकी पहली पाठशाला है। इस घटना के संदर्भ में बच्चे के ऑनलाइन गेम खेलने और उससे प्रभावित होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, किसी गेम को घटना का प्रत्यक्ष कारण मान लेना उचित नहीं होगा। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। फिर भी यह पहलू हमें बच्चों के डिजिटल जीवन और स्क्रीन पर उपलब्ध सामग्री के प्रभाव पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करता है।

दूसरी ओर, शहरों में बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित मैदान और खुले स्थान लगातार कम होते जा रहे हैं। खेल के मैदानों की कमी बच्चों को घरों के भीतर और मोबाइल स्क्रीन तक सीमित कर रही है। खेल केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, टीम भावना, हार-जीत स्वीकार करने और गुस्से पर नियंत्रण रखने की शिक्षा भी देते हैं। सरकार, नगर निकायों, आरडब्ल्यूए और विद्यालयों को बच्चों के लिए सुरक्षित खेल मैदान और रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। माता-पिता को भी बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए तथा उन्हें आउटडोर खेल, पुस्तकें, संगीत और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए।

मीडिया ने इस घटना के माध्यम से विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज का बार-बार प्रसारण और सोशल मीडिया पर उसे वायरल करना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और निजता के लिए नुकसानदेह है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 किसी बच्चे की पहचान उजागर करने वाले विवरण और तस्वीरों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाती है। यह संरक्षण पीड़ित और कानून के उल्लंघन के आरोप का सामना कर रहे, दोनों बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है।

इस घटना से सबक लेने की भी आवश्यकता है। राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों का नियमित बाल-सुरक्षा ऑडिट हो। प्रारंभिक कक्षाओं में पर्याप्त सहायक कर्मचारी तैनात किए जाएं। प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित काउंसलर अथवा विशेषज्ञों से परामर्श की व्यवस्था हो। सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी हो। बच्चों में आक्रामक व्यवहार, तनाव और हिंसक प्रवृत्तियों के शुरुआती संकेतों की पहचान कर समय रहते सहायता दी जाए। प्रत्येक स्कूल में दुर्घटना और हिंसा की स्थिति में चिकित्सा सहायता, अभिभावकों को सूचना तथा शिकायत निवारण का लिखित प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से लागू हो।

यह घटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की परीक्षा है। जब एक बच्चा हिंसा का शिकार हो और दूसरा बच्चा हिंसक व्यवहार करे तो उत्तर केवल दंड या आक्रोश नहीं, बल्कि जवाबदेही, संवेदना और सुधार होना चाहिए।

रजिस्ट्री नहीं होने से परेशान युवक ने किया आत्महत्य का प्रयास

माही की गूंज, शाजापुर।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में इस बार भी खूब हंगामा हुआ। पिछली जनसुनवाई में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। वहीं इस बार एक युवक ने ईंट-पत्थर से खुद को चोट पहुंचाकर जान देने की कोशिश की।

युवक राजेंद्र कुमार शुजालपुर अनुभाग के ग्राम खड़ी का निवासी है। पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री नही होने से वह परेशान है, पिछली जनसुनवाई में भी आवेदन दिया था। किंतु समस्या का समाधान नही होने से इस बार आत्महत्या के इरादे से पहुंचा था।

युवक को लालघाटी थाने भेजा गया

युवक को कलेक्ट्रेट में तैनात होमगार्ड सैनिक और पुलिसकर्मियों ने खुद को चोट पहुंचाने से रोका। हालांकि इसके बावजूद उसने अपने सिर में ईंट मार ली थी। युवक को लालघाटी थाने भेजा गया। जहां पुलिस ने उसे समझाइश देकर मामला शांत कराया।

मुझे धनतेरस तक लोगों का पैसा देना है

इसके पहले एसडीएम मनीषा वास्कले और डिप्टी कलेक्टर आलोक वर्मा ने भी कलेक्ट्रेट परिसर में राजेंद्र को समझाने का प्रयास किया। किंतु वह रो-रो कर यही कहता रहा कि मेरी रजिस्ट्री नही हो रही, मुझे लोन नही मिल रहा। मैं और मेरे बच्चे परेशान हैं। मुझे परेशान होते सात महीने हो गए हैं। मुझे धनतेरस तक लोगों का पैसा देना है, कहां से पैसा दूंगा। मैं भारत से बाहर का हूं क्या। आज मेरी रजिस्ट्री होना तय है, नही तो आज मेरी मौत होगी। इसके जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की होगी।



यह है परेशानी

पोलायकलां तहसील के ग्राम खड़ी निवासी राजेंद्र का कहना है कि पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके लिए वह पिछले कई महीनों से भटक रहा है। रजिस्ट्री नहीं होने के कारण उसे बैंक से ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या को लेकर वह मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचा था। आवेदन देने से पहले ही उसने कलेक्टर परिसर के बाहर विरोध शुरू कर दिया।

जमकर की नारेबाजी, बोला भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद

राजेंद्र मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं इसकी जिम्मेदार कलेक्टर की रहेगी। प्रशासन की रहेगी। वह रोते हुए भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा। युवक द्वारा खुद को चोट पहुंचाने और हंगामा किए जाने के कारण काफी देर तक परिसर में अफरा-तफरी मची रही। एसडीएम मनीषा वास्कले और डिप्टी कलेक्टर आलोक वर्मा काफी देर तक बाहर ही खड़े रहे।

सुस्ती पड़ेगी भारी, अधिकारी पर लगेगा अर्थदंड

कलेक्टर डा. परिक्षित संजयराव झाड़े ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा में सोमवार को निर्देश दिए कि 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करने और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में करने के निर्देश दिए। ऐसा नही होने पर राजस्व अधिकारियों पर 250 रूपये प्रतिदिवस की राशि का अर्थदंड लगाने की बात कही है।

समयसीमा में प्रकरण नहीं निपटाने वाले अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड

स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना के तहत हितग्राहियों की निशुल्क रजिस्ट्री में बेहतर काम करने वाले पटवारियों को अब कलेक्टर सम्मानित करेंगे। समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डा.परिक्षित संजयराव झाड़े ने प्रत्येक अनुभाग से तीन-तीन पटवारियों का चयन करने के निर्देश दिए। चयनित पटवारियों को बैठक में प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की 100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा। लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समयसीमा में नहीं निपटाने वाले राजस्व अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड लगाने के निर्देश भी दिए है।

लगातार दूसरे मंगलवार हंगामा

शाजापुर में जनसुनवाई के दौरान लगातार दूसरे मंगलवार विरोध की घटना सामने आई है। पिछले मंगलवार को जनसुनवाई में ग्राम गिरवर निवासी दुर्गेश मालवीय ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया था। युवक माचिस जलाने ही वाला था, तभी मौके पर मौजूद लोगों ने माचिस छीनकर उसे रोका। जून 2026 में पोलायकलां के किसान शरद कुमार शर्मा ने वर्ष 2019 से भूमि सीमांकन के लिए 50 से अधिक शिकायतें करने के बावजूद समाधान नहीं होने का आरोप लगाकर कलेक्ट्रेट में हंगामा किया था। जून 2024 में सुंदरसी की 90 वर्षीय संपतबाई बार-बार आवेदन देने के बाद भी मकान और जमीन की समस्या नहीं सुलझने पर इच्छा मृत्यु की गुहार लेकर पहुंची थीं। नबंवर 2024 में भी कलेक्ट्रेट में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान एक परिवार द्वारा खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महाद का प्रयास किया जा चुका है। कार्यालय के बाहर ही पूरे परिवार ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया, यहां तक की महिला ने साथ लिए बच्चे पर भी पेट्रोल उड़ेल दिया था।

तकनीकि समस्या है, भोपाल जानकारी दी है

युवक की रजिस्ट्री तकनीकि कारण से नही हो सकी है। समस्या का समाधान भोपाल स्तर से होगा। हमने इसकी जानकारी भोपाल भेजी है। युवक की समस्या को देखते हुए मैं खुद व्यक्तिगत रुप से यह काम कराने का प्रयास करूंगा। युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसके लिए उसे समझाइश दी गई है। **-डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े, कलेक्टर**

आज से चलेगी उत्राण-लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

माही की गूंज, रतलाम।



दीपावली सहित आगामी त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने उत्राण-लालकुआं के बीच विशेष किराए पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 09129 उत्राण-लालकुआं स्पेशल 5 और 12 नवंबर गुरुवार को उत्राण से दोपहर तीन बजे रवाना होकर दाहोद (8:18/8:20), रतलाम (10:25/10:35) और नागदा (11:38/11:40) होते हुए अगले दिन शाम 4:10 बजे लालकुआं पहुंचेगी। वापसी में 09130 लालकुआं-उत्राण स्पेशल छह और 13 नवंबर शुक्रवार रात 10 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन नागदा (2:55/2:57), रतलाम (3:30/3:40) और दाहोद (5:05/5:07) होते हुए रात 10:15 बजे उत्राण पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली, बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी और किच्छा में ठहराव रहेगा। ट्रेन में एसी द्वितीय, एसी तृतीय, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे।

टहलने निकले अधेड़ की रेलवे पटरी पर मिली लाश

माही की गूंज, शाजापुर। रात को रोजाना की तरह टहलने के लिए घर से निकले 50 वर्षीय अधेड़ की सुबह रेलवे पटरी पर लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सोमवार रात घर से निकले राजेश पाटीदार वापस नहीं लौटे थे। परिजन रातभर उनकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

मंगलवार सुबह शाजापुर रेलवे स्टेशन से करीब दो किलोमीटर दूर ग्राम बरवाल के पास रेलवे ट्रैक पर उनका शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान राजेश पुत्र सूरज सिंह पाटीदार निवासी कृष्णा कालोनी, मंडी के पास के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार राजेश सोमवार रात करीब 9 बजे घर से टहलने निकले थे। काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। मंगलवार सुबह बरवाल के पास रेलवे पटरी पर शव होने की सूचना स्टेशन मास्टर को मिली। स्टेशन मास्टर ने इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। सिर पर गंभीर चोट, कई पहलुओं से जांचकोतवाली पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी नवीन बिलावलिया ने बताया कि मृतक के सिर पर गंभीर चोट थी। प्रारंभिक तौर पर ट्रेन की चपेट में आने या ट्रेन से गिरने की आशंका है। पटरी के सहारे चलते समय ट्रेन से टकराने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगी।

टीआई को कुचलने वाले ट्रक ड्राइवर का हुआ शॉर्ट एनकाउंटर



देवास।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में अवैध शराब तस्करी रोकने के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलने के मामले में फरार चल रहा ड्राइवर गजेंद्र उर्फ अक्कू गिरफ्तार कर लिया गया है। देवास पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा से भागने और पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने चेतावनी देकर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी।

एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह मुठभेड़ देवास के पास बरोठा थाना क्षेत्र में हुई। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले में दो वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी पर अलग-अलग 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

भागने और हथियार छीनने की कोशिश का दावा

देवास पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ट्रक चालक गजेंद्र उर्फ अक्कू को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ और मामले से जुड़े घटनास्थल की जांच कर रही थी। इसी दौरान उसने कथित तौर पर पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया और पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर हमला करने की कोशिश की।

पुलिस का दावा है कि चेतावनी देने के बाद आरोपी को रोकने के लिए गोली चलाई गई, जो उसके दाहिने पैर में लगी। हालांकि, इस घटनाक्रम के विस्तृत विवरण और पुलिस कार्रवाई की परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

1800 लीटर से ज्यादा अवैध शराब से भरा था ट्रक

यह मामला सोमवार को इंदौर-बैतूल हाईवे पर हुई घटना से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध शराब ले जाई जा रही है। ट्रक में 1,800 लीटर से अधिक शराब होने की बात सामने आई है।

पुरी हाईवे पर एक ढाबे के पास खड़े ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ करने पहुंचे थे। आरोप है कि पुलिस को देखकर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की और ट्रक को सड़क के डिवाइडर पर चढ़ा दिया। इस दौरान ट्रक का पिछला पहिया थाना प्रभारी के ऊपर से गुजर गया। हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि एक कांस्टेबल घायल हो गया।

तीन आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में राहुल जायसवाल, विजय राव और केराम सिंह चांगोद को पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, चांगोद पर शराब तस्करी के लिए ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर की व्यवस्था करने का आरोप है।

अधिकारियों के अनुसार, राहुल जायसवाल पर हरदा जिले के टिमरनी से गुजरात तक अवैध शराब तस्करी का नेटवर्क चलाने का आरोप है। वहीं, विजय राव के बारे में पुलिस का कहना है कि उसने जायसवाल के लिए काम करने की बात स्वीकार की है।

तीनों आरोपियों को देवास जिला अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष की मांग पर उन्हें 10 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अब फरार ट्रक चालक गजेंद्र उर्फ अक्कू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

ट्रांसफार्मर के लिए सुबह से देर रात तक इंतजार

माही की गूंज, रतलाम।

ट्रांसफार्मर पर बढ़ता लोड, जलती डीपी को सुधार के लिए सुबह से देर रात तक इंतजार चंबल कॉलोनी में इंतजार अब किसानों की सब्र से बाहर हो रहा हैं। मंगलवार दोपहर कई किसान जला ट्रांसफार्मर लेकर चंबल कॉलोनी नहीं जाते हुए कलेक्टोरेट पहुंच कर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। खेतों में खड़ी फसल को पानी देने के लिए परेशान किसानों का आक्रोश मंगलवार को कलेक्टोरेट में देखने को मिला।

दूसरी तरफ चंबल कॉलोनी में कई किसान रात 10 बजे तक ट्रांसफार्मर मिलने का इंतजार में सुबह से बैठे नजर आए। किसान नारायण पाटीदार ने बताया कि सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रात 10 बजे तक ट्रांसफार्मर नहीं मिला और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हैं।

धामनोद के किसान बार-बार जल रहे विद्युत ट्रांसफार्मर डीपी को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। किसानों ने परिसर में जला हुआ ट्रांसफार्मर रखकर धरना दिया और विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि खेत पर लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता 100 केवी है, जबकि उस पर करीब 128 से 130 प्रतिशत तक लोड डाल रखा है।

नाबालिग से दुष्कर्म...

माही की गूंज, रतलाम।

औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय हिंदू किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित विरियाखेड़ी निवासी तनवीर पुत्र रफीक अब्बासी ने किशोरी से पहचान छिपाकर संपर्क बढ़ाया था। अपना नाम तन्नु बताकर किशोरी से बातचीत शुरू की। करीब एक महीने तक पीछा करने और फोन पर बातचीत के बाद एक नवंबर को वह किशोरी के घर पहुंच गया।



उस समय किशोरी घर में अकेली थी। तनवीर ने जबरन घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर पहुंचे भाई और पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तनवीर को गिरफ्तार किया। सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया।

नाम बदलकर की दोस्ती, घर में अकेला पाकर किया दुष्कर्म

किशोरी ने पुलिस को बताया कि करीब एक महीने पहले वह जामफल के खेत में काम करने जाती थी। इस दौरान एक युवक वहां आता-जाता था और उसका पीछा करता था। रास्ते में रोककर उसने बातचीत करने और मिलने की इच्छा जताई। किशोरी ने उसे पीछा करने से मना किया, लेकिन वह लगातार संपर्क करने की कोशिश करता रहा। युवक ने अपना नाम तन्नु बताकर मोबाइल नंबर दिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी।

दोपहर करीब 12:30 बजे युवक ने फोन कर किशोरी को मिलने बुलाया। उसके नहीं जाने पर वह कुछ देर बाद घर पहुंच गया। किशोरी को अकेला पाकर वह अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने किशोरी के साथ जबरदस्ती की और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी की आवाज सुनकर उसका भाई घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर पहुंचा। भाई को देखकर युवक भागने लगा, लेकिन भाई और पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया।

पॉक्सो, एससी-एसटी और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज

थाना प्रभारी अमित कोरी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया है।

संभाग की स्वीकृत दरों पर ही होगा लीगेसी वेस्ट का उपचार

माही की गूंज, रतलाम।

नगर निगम में इंजीनियरों की संख्या बढ़ाने के लिए 4 सहायक और 12 उपयंत्रियों की नियुक्ति करने की तैयारी नगर निगम ने की है। इसका प्रस्ताव एमआइसी में पारित करके नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजा जा रहा है।

यह निर्णय महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एमआइसी की बैठक में किया गया। बैठक में जुलवानिया ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर लीगेसी वेस्ट उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू करने, सहायक यंत्री व उपयंत्री की भर्ती पीईबी से कराने, डिजिटल डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। जुलवानिया ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर लीगेसी वेस्ट का उपचार बायोरेमिडेशन एवं बायोमाईनिंग पद्धति से करने के लिए उज्जैन संभाग के लिए स्वीकृत दर राशि 370 रुपए प्रति मीट्रिक टन पर करने की वित्तीय स्वीकृति महापौर परिषद ने दी।

ये भी निर्णय हुए

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 नगरीय क्षेत्र रतलाम में लागू किये जाने की अनुशंसा महापौर परिषद की बैठक में की गई जिसके तहत स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण एवं निस्तारण, ठोस अपशिष्ट जनक, उपयोगकर्ता शुल्क एवं दंडात्मक कार्रवाई पुराने कचरे का निस्तारण, अवसंरचनावं डिजिटल निगरानी, जन-जागरूकता आदि कार्य किये जाना है।



पर्यावरणीय सुरक्षा वं मानव स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से जुलवानिया ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर लीगेसी वेस्ट का उपचार बायोरेमिडेशन एवं बायोमाईनिंग पद्धति से किये जाने हेतु उज्जैन संभाग के लिए स्वीकृत दर राशि रूपये 370 प्रति मीट्रिक टन पर किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई।

आयोजित बैठक में माणक चौक स्थित सब्जी मण्डी के स्थान पर सर्वसुविधायुक्त व्यावसायिक केन्द्र (शॉपिंग मॉल) निर्माण मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना मोनिट ए प्लस योजनान्तर्गत तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु आयुक्त संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को पत्र प्रेषित करने की महापौर परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

नगर निगम में 4 सहायक यंत्री व 12 उपयंत्री की नियुक्तीपीईबी के माध्यम से कराये जाने के प्रस्ताव के साथ ही नगर निगम के विभिन्न विभागों एवं शाखाओं में कार्यालयीन नस्तियां, विकास शाखा पत्राचार, सेवा अभिलेख, संपत्तिकर एवं जलकर संबंधी अभिलेख, निर्माण कार्यों की नस्तियां, निविदा अभिलेख, परिषद एवं समितियों की कार्यवाही, न्यायालयीन प्रकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस) सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक अर्न्तगत डीपीआर-3 बंजली निर्मित एलआईजी फ्लेट का प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर 4 एलआईजी फ्लेट का अस्थाई आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अन्तर्गत बीएलसी घटक के में दावा आपत्ति उपरांत पात्र पाये गये 108 हितग्राहियों की अंतिम सूची को महापौर परिषद ने अनुमोदन प्रदान कर सूची जिला कलेक्टर रतलाम को प्रेषित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा कायाकल्प 2.0 योजनान्तर्गत वार्ड क्रमांक 41 घांस बाजार से शिक्षा विभाग तक सीसी सड़क, पेवर ब्लॉक, आर.सी.सी.पाईप स्थापना कार्य की विस्तत कार्य योजना नवीन मास्टर प्लान अनुसार तैयार किये जाने हेतु निगम में नियुक्त कंसलटेंट इंदौर से स्वीकृत दर कार्य योजना तैयार कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

वार्ड क्रमांक 49 काशीनाथ का नोहरा सब्जी मंडी में आवष्यक निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 1 से 25 व 26 से 49 में डामर पेंचवर्क कार्य के लिए अल्प निविदा आमंत्रित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

आयोजित महापौर परिषद की बैठक में महापौर प्रहलाद पटेल के अलावा भगतसिंह भदौरिया, पप्पू पुरोहित, अनिता कटारा, दिलीप गांधी, धर्मेन्द्र व्यास, विशाल शर्मा, अक्षय संघवी, मनोहरलाल राजू सोनी, रामू डाबी, सपना त्रिपाठी, निगम आयुक्त अनिल भाना, उपायुक्त सचिन सिटोले, कार्यपालन यंत्री महेश सिरोहिया, राहुल जाखड़, सहायक यंत्री नीलेश पंचोली, अनवर कुरैशी, उपयंत्री राजेश पाटीदार, निगम सचिव राजेन्द्र शर्मा, राजेन्द्र पुरोहित, अनिल माली, सिटी मैनेजर नेहा कुवाल आदि उपस्थित थे।

राहुल गांधी की चुनौती पर बोले मंत्री धर्मेंद्र लोधी, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा में बुधवार को भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की चुनौती पर पलटवार करते हुए उनकी मानसिक स्थिति पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब और किस प्रकार की बात करेंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लोधी ने कहा कि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) पर सवाल उठा रहे हैं और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत स्वयं निर्वाचित हुए हैं, उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

अनाज मंडी से शुरू हुई पदयात्रा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सागर आरतानी सहित पार्टी के कई नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया।



मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग, न्यायपालिका और कार्यपालिका जैसी संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। भाजपा इस कथित दुष्प्रचार का जवाब जनता के बीच जाकर देगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान आवश्यक है, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इन संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की चुनौती के सवाल पर लोधी ने कहा कि राहुल गांधी पहले अपनी राजनीतिक हैसियत स्पष्ट करें। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) को लेकर कांग्रेस के रवैये पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम सही होती है, लेकिन हारने पर उसी मशीन पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया। मंत्री ने दावा किया कि जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी।

मंत्री लोधी ने कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र की चिंता जताने वाली कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया। अब वही पार्टी लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की दुहाई दे रही है।

खंडवा में निकाली गई पदयात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है। पदयात्रा के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने और अपने राजनीतिक अभियान को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस दौरान राहुल गांधी को लेकर प्रभारी मंत्री की विवादित टिप्पणी भी चर्चा का विषय रही।

कांग्रेस की वोट बचाओ, देश बचाओ रैली, बिजली कटौती और अवैध खनन के मुद्दे उठाए

माही की गूंज, खरगोन।



खरगोन जिले के भगवानपुरा में बुधवार को कांग्रेस ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत रैली निकालकर सभा आयोजित की। इस दौरान क्षेत्र में बिजली कटौती, अवैध शराब बिक्री और अवैध खनन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। सभा के बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। कांग्रेस ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि नाईक ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कथित तौर पर वोटों की चोरी कर चुनाव जीत रही है और संविधान की हत्या कर रही है। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कथित वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आई भाजपा सरकारों को बर्खास्त करने तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई।

रवि नाईक ने क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि गांवों में ठेकेदारों के एजेंट खुलेआम शराब बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शराब माफिया को संरक्षण देने में विभागीय मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अवैध शराब बिक्री और खनन पर रोक लगाने की मांग की।

विधायक केदार डाबर ने बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवानपुरा क्षेत्र में दीपावली के दौरान अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान रहे। रबी की फसल के लिए किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बिजली व्यवस्था में सुधार कर किसानों को नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराने की मांग की।



भगवान कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर यादव समाज ने धीरेंद्र शास्त्री से माफी की मांग की

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन जिले के कसरावद में भगवान कृष्ण को लेकर पं. धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी पर अहिर यादव समाज ने विरोध जताया है। समाज के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी अनिल जैन को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की।

समाज के नितिन यादव ने आरोप लगाया कि कथा के दौरान पं. धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान कृष्ण के चलने, खड़े होने और उनके कार्यों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। भगवान की प्रिय बांसुरी बजाने को खेल बताने और उनके स्वरूप को टेढ़ा-मेढ़ा बताने से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

ज्ञापन में भगवान राम को लेकर की गई टिप्पणी पर भी विरोध जताया गया। समाज प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि धार्मिक मंचों से इस प्रकार की बयानबाजी पर रोक लगाई जाए और संबंधित मामले में उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही पं. धीरेंद्र शास्त्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई।

समाज ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो देशभर का यादव समाज आंदोलन करेगा। ज्ञापन पर समाज के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान विजय यादव, राजकुमार यादव, संजय यादव, बिहारी यादव और आदर्श यादव सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

होटल-ढाबों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग का आरोप, उपभोक्ता परेशान

माही की गूंज, महेश्वर।



दीपावली के त्योहार पर एक ओर आम उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महेश्वर, मंडलेश्वर सहित पूरी तहसील के होटल-ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग का आरोप सामने आया है। नियमानुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन आरोप है कि कई होटल-ढाबों में घरेलू लाल सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि होटल और ढाबों पर व्यावसायिक सिलेंडरों के स्थान पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। यदि प्रशासन पूरी तहसील में जांच अभियान चलाए तो बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। लोगों ने इसे घरेलू गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

ग्राम मिर्जापुर के किसान शिवराम ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर उन्होंने तीन दिन पहले गैस सिलेंडर बुक कराया था। त्योहार के दिन सुबह 10 बजे वे इंडेन गैस एजेंसी पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने उन्हें एक-दो घंटे बाद आने के लिए कहा। दोपहर 12 बजे तक इंतजार करने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ा। इस स्थिति से आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है।

स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से महेश्वर स्थित इंडेन गैस एजेंसी के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही तहसील के होटल-ढाबों पर छापामारी कर घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सिलेंडर जब्त करने की मांग की गई है। मामले में संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

डेयरी और मिठाई दुकानों से लिए 11 सेंपल

माही की गूंज, बड़वानी।

दीपावली के बाजार में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को राजघाट रोड स्थित भारत दूध डेयरी संयंत्र सहित शहर की दो मिठाई दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तीनों प्रतिष्ठानों से कुल 11 नमूने लिए गए।



कलेक्टर के निर्देशन में पहुंची टीम ने भारत दूध डेयरी संयंत्र का निरीक्षण कर दूध, मावा और घी के तीन नमूने लिए। तहसीलदार राहुल सोलंकी ने बताया कि त्योहार को ध्यान में रखते हुए दुकानों, खाद्य प्रतिष्ठानों और दूध डेयरियों की जांच की जा रही है। लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जाएगा तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

टीम ने शहर की जम्बू मिष्ठान और राजा स्वीट्स पर भी जांच की। जम्बू मिष्ठान से मावा मिठाई, सेव, केसर पेड़ा और सोन पपड़ी के चार नमूने लिए गए। वहीं राजा स्वीट्स से बेसन के लड्डू, मलाई बर्फी, सोन पपड़ी और सेव के चार नमूने लिए गए। दोनों मिठाई दुकानों से कुल आठ नमूने एकत्र किए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज आंचल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से लगातार निरीक्षण और नमूने लेने की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को तहसीलदार सहित संयुक्त टीम ने औचक जांच की। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों के निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।



शराबबंदी के फैसले के बावजूद अवैध बिक्री, महिलाएं पहुंचीं थाने

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम छापरी में शराबबंदी के फैसले के बावजूद शराब की बिक्री शुरू होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। बुधवार दोपहर करीब 40 से 50 महिलाएं सरपंच छतरसिंह पटेल के नेतृत्व में अंजड़ थाने पहुंचीं। महिलाओं ने पुलिस से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। राधा बडोले ने बताया कि कुछ समय पहले गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की सहमति से शराबबंदी का निर्णय लिया गया था। इसके बाद गांव में शराब की बिक्री बंद हो गई थी। लेकिन अब कुछ लोग चोरी-छिपे शराब लाकर बेच रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि शराब पीकर लोग झगड़ा, गाली-गलौज और मारपीट करते हैं, जिससे परिवारों में विवाद बढ़ रहे हैं और महिलाओं तथा बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

महिलाएं दो वाहनों से सरपंच छतरसिंह पटेल के साथ थाने पहुंचीं और उपनिरीक्षक रविंद्र चौकले को अपनी शिकायत से अवगत कराया। सरपंच ने महिलाओं की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि गांव में शराबबंदी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस से गांव में नियमित गश्त बढ़ाने और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि शराब के कारण कुछ लोग महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। मेहनत की कमाई शराब पर खर्च होने से परिवारों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने गांव में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद कराने की मांग की। उपनिरीक्षक रविंद्र चौकले ने महिलाओं की शिकायत सुनने के बाद जल्द ही गांव में दबिश देकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही।

क्रिप्टो की ऐतिहासिक चोरी से उपजे सुरक्षा के सवाल

उनतीस अक्तूबर की रात दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस से लगभग 6.3 अरब डॉलर (करीब 53 हजार करोड़ रुपये) की डिजिटल संपत्ति कुछ ही मिनटों में उड़ा ली गई। यह क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है, फरवरी 2025 में बायबिट एक्सचेंज से हुई 1.5 अरब डॉलर की चोरी से चार गुना बड़ी। कहने को तो बाइनेंस ने अपने खजाने, आपात भंडार और बीमा कोष से ग्राहकों के 90 फीसदी नुकसान की भरपाई का दावा किया है। पर यह राहत क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों में भरोसा कायम कर पाएगी, इसमें संदेह है। साथ ही, यह घटना भारत के लिए कई सवाल छोड़ जाती है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसे अभियानों की बदौलत भारत डिजिटल लेन-देन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। यहां लाखों लोग क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं। इसलिए क्रिप्टो एक्सचेंज में हुई सेंधमारी एक अनिश्चित भविष्य के मद्देनजर हमारे लिए भी कई सवाल पैदा कर रही है।



डॉ. संजय वर्मा

अब तक जो जांच-पड़ताल हुई है, उसमें सेंधमारों के बारे में कुछ अंदाजे लगाए गए हैं। जैसे कि ब्लॉकचेन विश्लेषक कंपनियों- टीआरएम लैब्स और चेनालिसिस के मुताबिक इस सेंधमारी के पीछे उत्तर कोरिया की हैकर इकाई %ट्रेडरट्रेटर% का हाथ है। हैकरों का यह समूह हैकिंग के मामले में पहले से कुख्यात लाजरस समूह से जुड़ा बताया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार सेंध बाइनेंस के ही एक इंजीनियर के हैक हुए लैपटॉप से लगी, और फिर महज 20 मिनट में अरबों डॉलर की क्रिप्टो सफाई से निकाल ली गई। यह साबित करता है कि लेन-देन और निवेश जितना डिजिटल होगा, कमजोर कड़ियां उतनी ही महंगी पड़ेंगी।

दिलचस्प यह है कि चुराई गई क्रिप्टो को बाजार में खपाना नकदी लूट को खपाने जितना आसान नहीं। ब्लॉकचेन (क्रिप्टो निर्माण और संचालन में काम आने वाली तकनीक) में हर लेनदेन सार्वजनिक बही-खाते में दर्ज होता है। इसलिए चोर को माल तुरंत छोटे टुकड़ों में बांटना, दूसरी क्रिप्टो करेंसी में बदलना और वैध धन में मिलाना पड़ता है। इसके लिए फर्जी पहचान से कई एक्सचेंजों पर खाते, छोटी-छोटी जमाएं और एक ब्लॉकचेन से दूसरी पर छलांग का सहारा लिया जाता है। यह हथेली पर दहकता अंगारा लेकर, खुद जले बिना, उसे ठिकाने तक पहुंचाने जैसा है। बाइनेंस मामले में भी चुराए गए बिटकॉइन हजार-हजार और सौ-सौ के टुकड़ों में बांटे गए, और डॉलर-आधारित स्टेबलकॉइन विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर बाजार भाव से दस फीसदी सस्ते बेचे गए। लेकिन इस बीच कई लेन-देन नियंत्रण करने वाली उन कंपनियों के जरिए गुजरे, जो ऐसी हरकतों पर कड़ी नजर रखती हैं। जैसे कि स्टेबलकॉइन जारी करने वाली टेथर, सर्कल और रिपल जैसी कंपनियां। इन कंपनियों ने हैकिंग होने के घंटे भर के भीतर करीब 2.7 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए। यानी जहां लेनदेन के बीच कोई जवाबदेह संस्था थी, वहां चोरी रोकी जा सकी। इसके बावजूद हमलावर के पास करीब 2.4 अरब डॉलर के ईथर और बिटकॉइन बचे हैं, जिन्हें कोई वैध या सरकारी एजेंसी नहीं रोक पाई। इसलिए सवाल है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी के सारे लेन-देन जवाबदेह संस्थाओं और कंपनियों के जरिए संपन्न क्यों नहीं कराए जा रहे हैं।



हालांकि, चिंता इससे भी बड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ वर्षों से कहते रहे हैं कि क्रिप्टो चोरी उत्तर कोरिया के प्रतिबंधित हथियार कार्यक्रमों की कमाई का बड़ा जरिया है। यानी किसी एक्सचेंज की सुरक्षा में चूक अंततः किसी मिसाइल कार्यक्रम का ईंधन बन सकती है। पाकिस्तान जैसे अस्थिर पड़ोसी के रहते भारत के लिए यह सुरक्षा का सवाल भी है।

यूं हमारे लिए यह संकट एकदम अनजाना भी नहीं। जुलाई 2024 में घरेलू एक्सचेंज वजीरएक्स से करीब 23 करोड़ डॉलर चुराए गए, और उसके तार भी लाजरस समूह से जोड़े गए। लाखों उपयोगकर्ताओं के खाते महीनों फ्रीज रहे। साथ ही, नुकसान सभी ग्राहकों में बांटने का प्रस्ताव आया और पुनर्गठन की प्रक्रिया भारत के बजाय सिंगापुर की अदालत में चली। भारतीय एक्सचेंज, भारतीय ग्राहक, भारतीय पैसा, पर इंसाफ के लिए विदेशी कानून का सहारा! जुलाई 2025 में देश के सबसे बड़े एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स से करीब 4.4 करोड़ डॉलर उड़ाए गए। कंपनी ने नुकसान अपने खजाने से उठाया और सरकारी एजेंसी सर्ट-इन के साथ जांच की। पर यह कंपनी की सदिच्छा थी, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। सबक यह कि भारत में हैकिंग के बाद निवेशक का पैसा लौटना इस पर निर्भर है कि उसका एक्सचेंज कितना अमीर और नेक है। बाइनेंस छह अरब डॉलर का घाव सह सकता है, कोई छोटा भारतीय स्टार्टअप नहीं।

बाइनेंस जैसे विदेशी मंचों पर सक्रिय भारतीय निवेशकों का पैसा भी इस हादसे में अटका और बिटकॉइन छह हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। वैश्विक झटके की कीमत दलाल स्ट्रीट से लेकर छोटे शहरों के जेन-जी निवेशकों को चुकानी पड़ सकती है। यही वह जगह है जहां भारत की क्रिप्टो नीति के आकलन की जरूरत पड़ती है। मौजूदा स्थितियों में क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों को प्रत्येक निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से कर चुकाना पड़ता है। इसके अलावा हरेक लेनदेन पर एक प्रतिशत के टीडीएस यानी स्रोत पर ही टैक्स लगाने का प्रावधान है। एक अन्य कानूनी प्रावधान यह है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को अपना पंजीकरण सरकार की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) में कराना होता है। इसका उद्देश्य हवाला कारोबार रोकना है। किंतु यहां सवाल यह है कि क्या ये प्रावधान निवेशकों के पैसे की सुरक्षा में मददगार होते हैं। सच्चाई यह है कि इन तीनों उपायों के बावजूद क्रिप्टो में पैसा लगाने वाले भारतीय निवेशकों को कोई सुरक्षा हासिल नहीं होती है। इसका कारण यह है कि देश में ऐसी नियामक संस्था का अभाव है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज से ग्राहकों को किसी आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए आपात भंडार में पर्याप्त पूंजी रखने को बाध्य करे। साथ ही, एक्सचेंज को भी नुकसान की पहली जिम्मेदारी लेने की व्यवस्था बनवाए। शेयर बाजार की नियामक संस्था- सेबी ऐसा करती है। वह शेयर ब्रोकरों से ग्राहकों को होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए प्रतिभूतियां अलग रखवाती है और रिजर्व बैंक से संबंधित बैंकों का सुरक्षा ऑडिट करवाती है। जबकि क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इस पर क्रिप्टो में निवेश पर अत्यधिक कराधान की वजह से भारतीय निवेशक विदेशी अथवा कम प्रचलित, लेकिन असुरक्षित क्रिप्टो एक्सचेंजों की शरण में चले जाते हैं, जिससे उनका जोखिम और बढ़ जाता है।

सहकारी समिति के मैनेजर के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा

माही की गूंज, धार।

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति नालछा के प्रबंधक शेरसिंह ठाकुर के ठिकानों पर बुधवार सुबह लोकायुक्त पुलिस इंदौर की तीन टीमों ने एक साथ छापा मारा। शुरुआती जांच में प्रबंधक के पास आय के ज्ञात स्त्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ है।

लोकायुक्त के अनुसार, करीब 20 वर्ष के सेवाकाल में प्रबंधक को लगभग 65 लाख रुपये वेतन मिला, जबकि इस अवधि में उनके द्वारा करीब 2 करोड़ 41 लाख 45 हजार रुपये की संपत्ति अर्जित करने और व्यय किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह उनकी वैध आय की तुलना में 271.46 प्रतिशत अधिक बताई गई है। कार्रवाई के दौरान सोडपुर, नालछा और मांडव स्थित ठिकानों पर संपत्तियों, दस्तावेजों और अन्य निवेश से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।



बड़ी मात्रा में अचल और चल संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी सामने आई

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, शेरसिंह ठाकुर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति नालछा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और नालछा के सोडपुर निवासी हैं। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत और सूत्र सूचना मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की गई थी। इसमें उनके सेवाकाल के दौरान बड़ी मात्रा में अचल और चल संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद बुधवार को एक साथ तीन स्थानों पर सर्च कार्रवाई शुरू की गई।

दो मंजिला भवन और कृषि भूमि में बड़ा निवेश

लोकायुक्त की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रबंधक ने सोडपुर में 1520 वर्गमीटर का भूखंड खरीदा, जिस पर करीब 2400 वर्गफीट में दो मंजिला भवन बनवाया गया है। भूखंड की खरीदी और भवन निर्माण पर लगभग 97 लाख रुपये खर्च होना बताया गया है। इसके अलावा नालछा में मांडव रोड स्थित सोडपुर तिराहे पर 1350 वर्गफीट का एक व्यावसायिक भवन भी खरीदा गया, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये बताई गई है।

जांच में प्रबंधक की पत्नी कविता ठाकुर के नाम पर कृषि भूमि खरीदे जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसमें ग्राम सोडपुर, तहसील पीथमपुर में 0.645 हेक्टेयर कृषि भूमि की अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये और ग्राम मांडव, तहसील पीथमपुर में 2.526 हेक्टेयर कृषि भूमि की अनुमानित कीमत 42 लाख रुपये बताई गई है।

वाहनों और कृषि यंत्रों पर भी लाखों का खर्च

लोकायुक्त के अनुसार, प्रबंधक के पास जेसीबी, महिंद्रा ट्रैक्टर, महिंद्रा टीयूवी, ऑल्टो कार, बुलेट सहित विभिन्न कृषि यंत्र और संयंत्र भी मिले हैं। इन पर करीब 53 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा एक अन्य भवन की जानकारी भी मिली है, जिसे बेनामी संपत्ति होने की आशंका के आधार पर जांच में शामिल किया गया है। संबंधित संपत्तियों पर मिले अन्य कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के स्वामित्व तथा उनकी कीमत का भी आकलन किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रकरण दर्ज

लोकायुक्त पुलिस ने शेरसिंह ठाकुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर राजेश सहाय के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई में डीएसपी आनंद चौहान सहित निरीक्षक आशुतोष मिठास, प्रतिभा तोमर और सचिन पटेरिया की अलग-अलग टीमें शामिल हैं। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, सर्च कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद संपत्तियों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।



दीपावली पूर्व के त्योहारिया हाट बाजार में दिखी ग्रामीणों की रौनक

माही की गूंज, आम्बुआ।

क्षेत्र में जब भी कोई त्यौहार आता है उसके एक हफ्ते पूर्व साप्ताहिक हाट बाजारों में पर्व से संबंधित सामग्रियों की खरीदारी बढ़ जाती है,इस साप्ताहिक हाट बाजार को क्षेत्रीय लोग त्योहारिया हाट बाजार कहते हैं, जिसमें ग्रामीणों की भागीदारी बगैर कोई रोनक दिखाई नहीं देती है।

आगामी दिनों में हिंदू सनातन धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व दीपावली का आगमन होने जा रहा है, उसके पूर्व घरों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई, रंग रोगन आदि किया जाता है। साथ ही त्योहार पूर्व लगभग एक सप्ताह पहले दीपोत्सव से संबंधित सामग्रियों जैसे सजावट हेतु विधुत संबंधित सामग्रियों, खाद्य सामग्री,नवीन वस्त्र आदि के साथ ही बकरे मुर्गों तथा आतिशबाजी आदि के साथ ही आतिशबाजी की खरीदारी की जाती है जो कि आज आम्बुआ में मंगलवार को साप्ताहिक हाट बाजार में ग्रामीणों द्वारा की गई। हालांकि इस वर्ष खरीफ की फसलें सूख जाने एवं खराब हो जाने के कारण ग्रामीणों के पास नगदी की कमी है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जमकर खरीददारी की। जिस कारण बाजार में दिन भर भीड़ बनी रही धंधा व्यावसाय अच्छा होने से व्यापारियों में भी खुशी का माहौल बना रहा।

मिठाई एवं खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु भेजे

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशन में दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जोबट स्थित मेसर्स गणेश रेस्टोरेंट से मावा रोल एवं गुलाब जामुन तथा मेसर्स खत्री होटल से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। कार्रवाई के दौरान उक्त फर्म से 40 बोतल पेप्सी एवं थम्स अप, जिनकी कुल कीमत 1,200 रुपये थी, नष्ट कराई गईं। इसके अतिरिक्त आलीराजपुर स्थित राज ट्रेडर्स से शक्कर बूरा एवं सौंफ के नमूने भी गुणवत्ता जांच हेतु संग्रहित कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं अमानक सामग्री के विक्रय पर रोक लगाने के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। उक्त जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी गई।



3004 कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म

भोपाल। स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से चली आ रही संलग्नीकरण व्यवस्था समाप्त होने के बाद सेवाओं के संचालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त धनराजू एस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब जिला स्तर पर किसी अधिकारी-कर्मचारी को स्थानीय व्यवस्था के तहत मनमाने ढंग से दूसरी संस्था में नहीं भेजा जा सकेगा।

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

नए निर्देशों के मुताबिक संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ जरूरत और कारण बताते हुए प्रस्ताव तैयार करेंगे। कलेक्टर जांच के बाद इसे स्वास्थ्य संचालनालय भेजेंगे, जहां परीक्षण के बाद स्वास्थ्य आयुक्त से अनुमोदन लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिये होगी। इससे पारदर्शिता आएगी और मनमाने फैसलों पर रोक लगेगी।

इन विशेषज्ञों की ही हो सकेगी स्थानीय व्यवस्था

निर्देशों के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ स्त्री रोग, बाल रोग और निश्चेतना विशेषज्ञों की ही स्थानीय व्यवस्था की जा सकेगी। ये विशेषज्ञ प्रसव के दौरान सीजेरियन ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजी, नेत्र, शल्य, नाक-कान-गला और अस्थि रोग विशेषज्ञों के लिए अपरिहार्य स्थिति में ही प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। अन्य विशेषज्ञों को विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जा सकेगा।

चिकित्सा अधिकारियों की संस्था नहीं बदलेगी

स्थानीय व्यवस्था के नाम पर चिकित्सा अधिकारियों का कार्य या संस्था नहीं बदली जाएगी। अन्य कर्मचारियों को भी मूल पदस्थापना से नहीं हटाया जाएगा। हालांकि, जिन संस्थाओं में ऑपरेशन थिएटर, डेंटल चेयर या अन्य संसाधन न होने से विशेषज्ञों का उपयोग नहीं हो पा रहा, वहां संसाधन मिलने तक उनकी स्थानीय व्यवस्था हो सकती है।

3004 कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त

प्रदेश में पहली बार एक महीने के भीतर सभी जिलों के कुल 3004 अधिकारी-कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें मूल संस्थाओं में वापस भेजा गया है।



इसके बाद कुछ स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन और कामकाज से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। स्वास्थ्य संचालनालय सत्यापन करा रहा है कि संलग्नीकरण वास्तव में समाप्त हुआ है या नहीं।

सबसे ज्यादा प्रभावित जिले

जिन जिलों में सबसे अधिक संलग्नीकरण समाप्त किए गए हैं, उनमें उज्जैन में 238, रीवा में 176, ग्वालियर में 148, मंदसौर में 142, इंदौर में 121 और अनूपपुर में 100 कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर लौटाया गया है।

5 थानों के पुलिसकर्मियों की लगेगी क्लास!

माही की गूंज, उज्जैन।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। पांच थानों की रैंकिंग बी श्रेणी में पहुंचने और शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने पर एसपी ने संबंधित थानों के पूरे स्टाफ की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की है। इस कार्रवाई की जद में थाना प्रभारी (टीआई) से लेकर सिपाही तक शामिल हैं।

मिली जानकारी के अनुसार जिन पांच थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है, उनमें चिमनगंज, अजाक, कोतवाली, खाराकुआं और माधवनगर थाना शामिल हैं। इन थानों में सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं। शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने को लेकर एसपी ने नाराजगी जताई है। खास बात यह है कि पुलिस लाइन से अतिरिक्त इंस्पेक्टर उपलब्ध कराने के बावजूद इन थानों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। एसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस का काम केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि उनका समय पर और संतुष्टिपूर्ण निराकरण करना भी है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को पांचों थानों के पुलिसकर्मियों की परेड कराई जाएगी। इसके जरिए पूरे स्टाफ को अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा।

एसपी प्रदीप शर्मा ने साफ कर दिया है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कमजोर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पद और रैंक की परवाह किए बिना लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

वरिष्ठजनों को योग, स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता

माही की गूंज, आलीराजपुर।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना अंतर्गत जिला सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वरिष्ठजनों के सर्वांगीण कल्याण के लिए होलिस्टिक वेल-बीइंग, संवेदनशीलता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में आयुष विभाग के सहयोग से वरिष्ठजनों को उनकी आयु एवं स्वास्थ्य के अनुरूप योगासन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम एवं श्वसन अभ्यास कराया गया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने प्राथमिक उपचार, पोषण, सामान्य बीमारियों से बचाव एवं स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दी। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए सीपीआर प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया एवं वरिष्ठजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया।



कार्यक्रम में संतुलित एवं पौष्टिक आहार, ऋतुचर्या, सकारात्मक सोच तथा सामाजिक सहभागिता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठजनों को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने के साथ उन्हें सम्मानजनक एवं सक्रिय जीवन के लिए प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में डॉ. वरुण सराफ, डॉ. हितेश सोलंकी, डॉ. संतोष सोलंकी, डॉ. अमित अजनार एवं डॉ. अनिल उपस्थित रहे तथा सक्रिय सहभागिता की।

प्रदेश में मंदिरों की भूमि से होगी कमाई

माही की गूंज, उज्जैन।

मध्य प्रदेश में मंदिरों से जुड़ी जमीनों का उपयोग अब उनकी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इन जमीनों पर कृषि के साथ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की कार्ययोजना तैयार होगी।

बड़े मंदिरों की आय का कुछ हिस्सा आसपास की गोशालाओं और वृंदावन गांवों की व्यवस्था सुधारने पर भी खर्च किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की कार्यसमिति की बैठक में यह निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों से जुड़ी भूमि का उपयोग उनकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाए। इसके लिए कृषि और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की योजना बनाई जाए। मंदिरों में मौजूद जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और प्रबंधन का काम जल गंगा अभियान के तहत किया जाएगा। उन्होंने श्रीकृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने और इनके विकास में कृष्ण भक्ति से जुड़ी संस्थाओं का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि उज्जैन के सांदीपनि आश्रम के विकास और जीर्णोद्धार के लिए भूमि-पूजन हो चुका है। प्रदेश में 3200 से अधिक मंदिरों के रखरखाव, प्रवेश द्वारों के निर्माण और श्रीकृष्ण पाथेय की जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में नारायण धाम महिदपुर, श्रीकृष्ण धाम छतरपुर, जानापाव महू, अमझेरा धार, मां जागेश्वरी लोक चंदेरी, श्रीकृष्ण राधा लोक पन्ना और रायसेन जिले की जमगढ़ पहाड़ियों में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

भगवान श्रीकृष्ण पर केंद्रित यूट्यूब डिजिटल प्लेटफार्म शुरू होगा

बैठक में भगवान श्रीकृष्ण पर केंद्रित शोध, वृत्तचित्र, नाट्य और संगीत श्रृंखलाओं के लिए समर्पित यूट्यूब डिजिटल प्लेटफार्म शुरू करने की योजना पर भी चर्चा हुई। उज्जैन में दुर्लभ पांडुलिपियों और शोध पत्रों के लिए अत्याधुनिक रिसर्च लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के विचार आज भी जीवन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, कृषि और गौ-संवर्धन जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक हैं। इन विषयों पर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विचार सत्र और संगोष्ठियां आयोजित की जाएं।

10 साल में सात बार डूबे घर

माही की गूंज, धार/निसरपुर।

सरदार सरोवर बांध की डूब से प्रदेश की सबसे बड़ी बसाहट निसरपुर को उजड़े हुए एक दशक बीत चुका है, लेकिन विस्थापन का दर्द आज भी सैकड़ों परिवारों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी जिन घरों में परिवारों की खुशियां बसती थीं, आज वहां नर्मदा का बैकवाटर पसरा है।

कई परिवारों के घर पिछले 10 वर्षों में सात बार डूब चुके हैं। घरों का नामोनिशान मिट गया, लेकिन उनके हक की पांच लाख 80 हजार की पुनर्वास पैकेज राशि आज तक नहीं मिली। विडंबना यह है कि छह बार सर्वे होने के बाद भी 525 परिवारों के मामले सरकारी फाइलों में लंबित हैं। कोई टिन शेड में तो कोई बैकवाटर के किनारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं।



चार बस्तियों के 525 परिवार प्रभावित

निसरपुर में डूब से बाहर मानी गई चार बस्तियों के 525 परिवारों को शासन ने पुनर्वास स्थल पर भूखंड तो आवंटित कर दिए, लेकिन प्रत्येक परिवार को मिलने वाली पांच लाख 80 हजार की पुनर्वास पैकेज राशि अब तक नहीं मिली है।

कुछ इंच-फीट के अंतर ने बदली किस्मत

डूब के गांव में 127 मीटर के जलस्तर से पानी भरना शुरू होता है और 138.68 मीटर पर पूरा गांव डूब में आ जाता है। चार बस्तियों के इन परिवारों को जलस्तर के मामूली अंतर के आधार पर डूब से बाहर मान लिया गया, जबकि इनके घर बैकवाटर की चपेट में आते रहे।

सात बार घरों में घुसा पानी

बीते 10 वर्षों में कई परिवारों के घर सात बार डूब चुके हैं। कभी घर-आंगन और सामान बचाने की चिंता तो कभी परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मजबूरी रही। आज उन घरों का अस्तित्व तक नहीं बचा है।

60 परिवार आज भी टिन शेड में

निसरपुर पुनर्वास स्थल के डूब चुके घरों से प्रभावित लगभग 60 परिवार आज भी टिन शेड में रहने को मजबूर हैं। शेष परिवार बैकवाटर के समीप अपना जीवन गुजार रहे हैं।

छह बार सर्वे, फिर भी निराकरण नहीं

सरकारी स्तर पर इन परिवारों की स्थिति जानने के लिए पिछले 10 वर्षों में छह बार सर्वे किया जा चुका है। हर बार उम्मीद जगी कि अब उनके मामलों का निराकरण होगा, लेकिन आज तक राहत राशि नहीं मिल सकी।

भूखंड मिला, आर्थिक पुनर्वास अधूरा

शासन ने परिवारों को पुनर्वास स्थल पर भूखंड देकर अपनी जिम्मेदारी का एक हिस्सा तो पूरा किया, लेकिन 5.80 लाख की राशि नहीं मिलने से इन परिवारों का आर्थिक पुनर्वास अधूरा है।

सवाल आज भी खड़ा है

सवाल यह है कि जिन परिवारों के घर सात बार डूब चुके हैं, जिनकी बस्तियों का अस्तित्व मिट चुका है और जिनकी परेशानी के लिए छह बार सर्वे हो चुका है, उन्हें आखिर अपने हक की राशि के लिए और कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा।

खाकी कुचली गई तो एक्शन में सरकार व विभाग वरना झाबुआ-आलीराजपुर जिले में आए दिन पत्रकारों, समाजसेवियों और आमजन पर होते रहे है शराब माफियाओं के हमले लेकिन पुलिस नहीं करती ठोस कार्रवाई...?

बैच नंबर के आधार पर तीन शराब दुकानें सील व लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही पहली बार, कभी भी पुलिस ने बैच नंबर के आधार पर ऐसे कदम नहीं उठाए

वाहन मालिक आलीराजपुर जिले का अवैध शराब विक्रेता, असल में अवैध शराब गुजरात नही बल्कि आजाद नगर जा रही थी

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

देवास/आलिराजपुर। पिछले दिनों देवास जिले के खातेगांव में अवैध शराब तस्करी को लेकर एक बेहद ही दर्दनाक और गंभीर घटना सामने आई। जिसमें अवैध शराब तस्करी रोकते समय खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की अवैध शराब से भरे वाहन की चपेट में आने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया।

जानकारी के अनुसार देवास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, हरदा की तरफ से अवैध शराब से भरा एक आयशर ट्रक (एमपी 43 एच 4786) इंदौर होते हुए गुजरात जाने वाला है। एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देश पर खातेगांव, कन्नौद और सतवास पुलिस ने नाकेबंदी की। हरदा-नेमावर हाईवे पर जब ट्रक रुका, तो टीआई दिलीप पुरी जांबाजी दिखाते हुए चालक को पकड़ने पहुंचे। पुलिस से घिरने के बाद आरोपी ड्राइवर ने भागने के लिए अचानक ट्रक आगे बढ़ा दिया। इस दौरान हुई झूमाझटकी में टीआई दिलीप पुरी का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गए। ट्रक का भारी-भरकम पिछला पहिया उनके सीने और शरीर को रौंदता हुआ निकल गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। जांच में सामने आया कि, तस्करों ने ट्रक के अंदर एक सीक्रेट चेंबर बना रखा था, जिसमें करीब 208 पेटी अवैध शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक व मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच के अनुसार, इस अवैध शराब तस्करी नेटवर्क के तार हरदा के कुख्यात तस्कर राहुल जायसवाल और देवास के स्थानीय शराब माफिया से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में देवास के खातेगांव में टीआई दिलीप पुरी की हत्या और अवैध शराब तस्करी में पुलिस ने बेहद त्वरित और कड़ी कार्यवाही की है। इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए 22 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

अब सवाल यह है कि, आखिर इन अवैध शराब माफियाओं को संरक्षण देता कौन है...? जब-जब भी अवैध शराब तस्करी के मामले सामने आते है तब-तब पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़े होते दिखाई देते है। आए दिन अखबारों के पन्ने इस तरह की खबरों से रंगे रहते है। पुलिस पर सवालिया निशान के कई बड़े कारण भी है। क्योंकि प्रदेश में कहीं भी जब अवैध शराब का जखिरा पकड़ा जाता है, उसके बाद पुलिस मुख्य माफियाओं तक कभी पहुंच ही नहीं पाती या यूं कहें कि पहुंचना ही नहीं चाहती। ऐसा क्यों है यह तो पुलिस और उनका विभाग ही जाने। क्योंकि खातेगांव में हुए घटनाक्रम में खाकी खुद शराब माफियाओं का शिकार हुई तो पुलिस ने बैच नंबर के आधार पर हरदा कलेक्टर के आदेश पर तीन शराब दुकानों को सील कर उनके लायसेंस निलंबन की कार्रवाई कर दी। मगर इसके अलावा देखा जाए तो कभी भी पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब के बैच नंबर के आधार पर कभी किसी बड़े शराब माफिया पर हाथ नहीं डाला। जबकि माही की गूंज अक्सर इस बात को उठाता रहा है कि पकड़ी गई अवैध शराब पर अंकित बैच नंबर से पुलिस आसानी से मुख्य और बड़े माफियाओं तक पहुंच सकती है। मामलों में कभी दिलचस्पी लेती दिखाई नहीं देती है।

माही की गूंज अक्सर जिले में शराब माफियाओं की बखियां उधेड़ता रहा है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। कई रिपोर्टों में यह सामने भी आया है कि, इन आदिवासी जिलों में अवैध शराब माफियाओं को पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है। आदिवासी जिलों के शराब माफिया हमेशा पुलिस की सेवा में जेबें भर-भर सेवा चाकरी में लगे रहते है। बदले में पुलिसया कार्यप्रणाली अपने कर्तव्य को खूंटी पर टांगती दिखाई देती है। खुद आलीराजपुर जिले के भाबरा में अवैध शराब का धंधा चलाता है। जिस समय खातेगांव पुलिस कार्रवाई के लिए नाकेबंदी कर रही थी उस समय अवैध शराब से भरे ट्रक के आगे रैकी करते हुए खुद वाहन मालिक और भाबरा का अवैध शराब विक्रेता अपने वाहन से चल रहा था। इससे इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि ट्रक में भरी अवैध शराब गुजरात नहीं बल्कि भाबरा क्षेत्र में ही जा रही थी।

देवास के खातेगांव में जिस तरह अवैध शराब माफियाओं





आजाद नगर का अवैध शराब विक्रेता उर्फ शराब से भरी टीआई की हत्यारी ट्रक का मालिक को पुलिस ले जाती हुई।

झाबुआ-आलीराजपुर जिला इस का प्रत्यक्ष प्रमाण है जहां आए दिन पुलिस या आबकारी विभाग अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई तो करता है, लेकिन वह कभी अवैध शराब पर अंकित बैच नंबर के आधार पर कभी किसी बड़े शराब माफिया तक नहीं पहुंचा। इन दोनों ही आदिवासी जिलों में अवैध शराब माफियाओं की अगर बात करें तो स्थिति इतनी भयावह है कि, चारों तरफ इन माफियाओं का खौफ और धमक दिखाई देती है। देवास के खातेगांव में हुआ यह घटनाक्रम महज इसलिए इतना तूल पकड़ रहा है क्योंकि इस घटनाक्रम में पुलिस विभाग के एक टीआई की मौत हो गई। वरना झाबुआ और आलीराजपुर जिले में ऐसे कई मामले बीते वर्षों में हुए है जिनमें पत्रकार, समाजसेवी और आमजन शराब माफियाओं के हत्थे चढ़कर जानलेवा हमलों के शिकार हुए है। मगर इन मामलों में पुलिसिया कार्रवाई शुन्य ही दिखाई दी है। उलटा और इन जिलों में अवैध शराब माफियाओं का खौफ बढ़ता ही दिखाई दिया है। अवैध शराब परिवहन की खबरों को लेकर झाबुआ-आलीराजपुर जिलों में अक्सर माफिया पत्रकारों, समाजसेवियों और आमजन को निशाना बनाकर जानलेवा हमला करते ही रहते है। जबकि पुलिस इन चूंकि जिला अन्य प्रदेशों की सीमा से सटा होने के चलते अवैध शराब माफिया यहां खूब चांदी काटते दिखाई देते है। इन आदिवासी जिलों के शराब माफियाओं की लिंक प्रदेश के हर शराब ठेकेदार तक पहुंचती है। कारण यह है कि, प्रदेश में अरबों खरबों रुपए के शराब ठेके लेने वाले ठेकेदार इन बाहरी अवैध शराब विक्रेताओं को सस्ते में माल उपलब्ध कराते है। यही कारण है कि प्रदेश के किसी भी कौने से अवैध शराब लेने के लिए आदिवासी जिलों के अवैध शराब विक्रेता हमेशा तैयार रहते है।

सूत्रों की माने तो देवास जिले के खातेगांव में जो घटनाक्रम हुआ और अवैध शराब पकड़ी गई उसमें भी सीधे तौर पर तार झाबुआ-आलीराजपुर जिले से ही मिल रहे है। हालांकि देवास पुलिस सुत्रों के अनुसार यह शराब हरदा से गुजरात ले जाए जाने की जानकारी है। मगर सिक्के का दूसरा पहलू यह बता रहा है कि, शराब गुजरात नहीं बल्कि आलीराजपुर जिले के भाबरा (चंद्र शेखर आजाद नगर) जा रही थी। कारण यह कि, जिस वाहन मालिक और ट्रक के ड्रायवर को देवास पुलिस ने पकड़ा है वह दोनों ही आलीराजपुर जिले के निवासी है। जिसमें ट्रक का मालिक का शिकार खाकी हुई है अगर वह अब भी नहीं संभली तो आगे भी पुलिस को इसी तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रही पत्रकार, समाजसेवी और आमजन की बात तो वह तो हमेशा से ही इन शराब माफियाओं का शिकार होते रहे है और आगे भी शायद होते ही रहेंगे।

खातेगांव अवैध शराब मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर कर गिरफ्तारीयां की है। जिसमें खातेगांव टीआई दिलीप पुरी पर ट्रक चढ़ाने वाला मुख्य आरोपी ड्राइवर गजेंद्र रावत आलीराजपुर से गिरफ्तार किया गया। मंगलवार (3 नवंबर 2026) की रात जब पुलिस उसे लेकर आ रही थी, तो बरोठा थाना क्षेत्र के पास पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने और पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में दबोच लिया गया। इसके अलावा ट्रक के सह-चालक धीरज ने भी पुलिस हिरासत से भागने और पुलिसकर्मी पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने उसका भी शॉर्ट एनकाउंटर किया और उसके पैर में भी गोली लगी है।

इसके अलावा पुलिस ने इस अंतरराज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क के मुख्य कर्ताधर्ताओं को गिरफ्तार कर 7 दिन की रिमांड पर लिया है। जिसमें राहुल जायसवाल जो टिमरनी (हरदा) की उस शराब दुकान का 30 प्रतिशत का पार्टनर है जहाँ से यह शराब लोड हुई थी। इसे इंदौर एयरपोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह दिल्ली में कांग्रेस की एक रैली से लौट रहा था। यह वर्तमान में कांग्रेस का खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी रह चुका है।

दूसरा केरम सिंह चांगोड़ जो अवैध शराब से भरे ट्रक का मालिक है। पुलिसया जानकारी के अनुसार इसने तस्करों को वह आयशर ट्रक उपलब्ध कराया था जिसमें सीक्रेट चेंबर बना हुआ था। इसे आलीराजपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान भागते समय गिरने से इसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। मगर सुत्र तो यह बताते है कि, केरमसिह चांगोड़ भाबरा का एक अवैध शराब माफिया है जो अपने ही वाहन में अवैध शराब भरकर हरदा से भाबरा ला रहा था और अवैध शराब से भरे ट्रक के आगे अपने चार पहियां वाहन से रैकी करता हुआ चल रहा था। असल में खातेगांव टीआई की मौत के मामले में पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी यही है। लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ वाहन मालिक के तौर पर गिरफ्तार किया है ना कि अवैध शराब माफिया के तौर पर।

इसके अलावा इस मामले में विजय राव नामक वकील जो मध्य प्रदेश और गुजरात के शराब माफियाओं के बीच डीलिंग और संपर्क कराने का काम (मिडिएटर) करता था को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में दुकानों के लाइसेंस होल्डर पाटेंद्र जायसवाल (10 प्रतिशत हिस्सेदारी), मनीष जायसवाल और गुजरात निवासी मोहीन जायसवाल के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश व जांच जारी है।

इस पूरे मामले में प्रशासनिक सर्जरी के नाम पर लापरवाही बरतने के आरोप में हरदा के सहायक जिला आबकारी अधिकारी (एडीइओ) अमर सिंह बघेल और दो आबकारी आरक्षकों (कृष्णपाल सिंह डोडियार व अरुण कुमरे) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हरदा कलेक्टर ने आरोपी पाटेन्द्र जायसवाल के नाम पर दर्ज तीनों शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीआई दिलीप पुरी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और उनकी पत्नी कविता पुरी को आबकारी पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की है।

कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि, इस बार अवैध शराब माफियाओं का शिकार खुद खाकी वर्दी हो गई। अगर यही मामला किसी अन्य व्यक्ति, पत्रकार या समाजसेवी के साथ हुआ होता तो शायद इस मामले में भी इतनी गंभीरता पुलिस प्रशासन या सरकार दिखाती नहीं देती...?

कैबिनेट मंत्री नागरसिंह के सम्बन्ध में शिक्षिका के तीन वीडियो वायरल की कहानी आखिर क्या...?

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

आलीराजपुर। जब कोई मामला सार्वजनिक होता है तो वह निजी मामला नही रहता और सोशल मीडिया के इस दौर में एक मिनट भर में कहाँ से कहाँ तक यह सार्वजनिक मामले पहुँच जाता है कह नहीं सकते। वही कोई भी मामला जब किसी संवैधानिक पद एवं जनप्रतिनिधि या मंत्री, सांसद के सम्बन्ध में मामला हो तो ऐसे मामले बड़ी सुर्खियों में आ जाते हैं तथा सरकार तक को डेमेज करते है।

ऐसा ही एक मामला आलीराजपुर के विधायक व केबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान व सांसद पत्नि अनिता चौहान के सम्बन्ध में एक महिला द्वारा पहले आरोप, प्रताड़ित एवं नागरसिंह के साथ लम्बे समय से सम्बन्ध होने का वीडियो वायरल हुआ। दूसरा वीडियो में मामले का पटाक्षेप करते हुए तथा मंत्री एवं सांसद से अच्छे सम्बन्ध होना एवं महिला द्वारा बनाया गया पहला वीडियो उनके द्वारा वायरल नहीं करने तथा तीसरा वीडियो जिसमें महिला कह रही है मैं प्रताड़ित थी और आत्महत्या जैसी मेरी स्थिति थी ऐसे में मैंने मेरी लड़ाई लड़ी जिसमें मैंने क्या गलती की...?

उक्त वीडियो एक सप्ताह के दरमियान महिला द्वारा जारी किये गए। जिसकी राजनितिक चर्चा आलीराजपुर से भोपाल व भोपाल से दिल्ली तक हो रही है। वही मंत्री एवं सांसद के बीच दाम्पत्य जीवन खुशहाल है बताने का प्रयास करते हुए करवा चौथ की पूजा के वीडियो वायरल कर, महिला द्वारा वायरल वीडियो मामले को सामान्य मामला होने का संदेश पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

वहीं महिला द्वारा अलग-अलग वीडियो वायरल के बाद उक्त मामले की चर्चा बढ़ती ही जा रही है। माही की गूंज ने जब मामले की जानकारी निकालने का प्रयास किया तो सामने आया कि, उक्त महिला उमराली संकुल क्षेत्र में राकसाला ग्राम की एक शा.प्रा.वि. की शिक्षिका है और प्रथम वीडियो में शिक्षिका के वायरल वीडियो को नागरसिंह एवं उक्त महिला के आपसी में सम्बन्ध होने की चर्चा को सही कहा जा रहा है। बात यहाँ यह कि, आम लोगों को किसी के आपसी रजामन्दी के साथ नैतिक या अनैतिक सम्बन्ध है तो उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन पिछले सप्ताह एक शिक्षिका ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जारी हुआ। जिसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम महिला द्वारा लिखा एक लेटर भी जारी किया। वीडियो में महिला ने बताया कि, नागरसिंह चौहान से 18 साल की उम्र व पिछले 20 वर्षों से सम्बन्ध है। आपसी सम्बन्ध के चलते कई बार महिला प्रेग्नेंट भी हुई लेकिन बस उसने नागरसिंह के बच्चे को जन्म नहीं दिया। यानिकी पत्नि के रूप में रहने का व नागरसिंह के साथ सम्बन्ध होने की बात जाहिर की। साथ ही वीडियो में नागरसिंह की सांसद पत्नि अनिता चौहान को विलन बताने का प्रयास किया और कहा कि, अनिता चौहान ने शिक्षिका महिला व उसके बेटे को (जो नागरसिंह का बेटा नहीं) कई मैसेज किए जिससे मैं व मेरा बेटा बहुत परेशान हुए और मेरा बेटा परीक्षा देने तक नहीं गया। और अनिता चौहान ने हमेशा ही महिला एवं नागरसिंह को भी बहुत परेशान किया। और महिला ने बताया नागरसिंह भी अनिता से परेशान है और उनको नागरसिंह ने बताया था कि, मैं भी अनिता से परेशान हूँ और किसी दिन मुझे लकवा हो जाएगा।



जिसके बाद सांसद को मैसेज कर महिला ने उनसे बात करने की बात कही। जैसे भी नागरसिंह ने मुझे रखा वैसे में रही और मेरा और अनिता में बस इतना फर्क है कि, मैंने नागर सिंह के बच्चे पैदा नहीं किये। वीडियो जारी के दूसरे दिन अनिता चौहान से घर जाकर बात करने की बात कही और वहा कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जवाबदार अनिता और परिवार को माना था।

उक्त वीडियो के बाद मामला आलीराजपुर से लेकर भोपाल तक गरमाया और महिला के अनिता चौहान से घर जाकर बात करने के बाद मामला किस रडार तक जाएगा। इन्हीं चर्चाओं के बीच दूसरे दिन महिला ने थोड़ा यू-टर्न लेकर कहा कि, मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था यह सही है लेकिन मैं डिप्रेशन में थी जिसके लिये मैंने वीडियो जरूर बनाया लेकिन मैंने वायरल नहीं किया। जो वीडियो वायरल हुआ है वह उनको बदनाम करने के लिये वायरल हो रहा है। मैंने जो लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी डिप्रेशन में लिखा था लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नागरसिंह एवं अनिता से अच्छे सम्बन्ध है एवं मेरे पापा से भी सम्बन्ध है। आदि बातो के साथ वायरल वीडियो मामले का पटाक्षेप करने वाला था। लेकिन उक्त दूसरा वीडियो वायरल के बाद चर्चाओं का दौर चला और सोशल मीडिया एवं मीडिया में सार्वजनिक हुआ कि, मंत्रीजी और महिला के बीच डील हुई और 1 करोड़ नगदी व एक मकान के साथ समझौते की बात ने माहौल और बदल दिया। जिसमें मंत्री परिवार की पृष्ठभूमि को आंतक के पर्याय के रूप में जिले में चर्चाओं का दौर चला।

तत्पश्चात महिला ने एक और वीडियो जारी किया और जिसमें कहा कि, मेने जो किया वो गलत किया कहने वाले उन लोगो के लिये ये वीडियो बनाया और कहा मैंने क्या गलत किया? मैंने मेरा अधिकार माँगा और मेरा हक माँगा। मेरी लड़ाई थी और मैं लड़ी। मैंने किसी की इज्जत खराब नहीं की मैं उस समय प्रताड़ित होकर ऐसे दौर से गुजर रही थी कि मुझे आत्महत्या करना पड़ती। वीडियो में जो कहा उसका एक-एक शब्द सही है।

1 करोड़ व मकान की डील के सम्बन्ध में शिक्षिका ने कहा, मैंने कोई डील नहीं की और एक समाचार पत्र का नाम लेकर अपना आक्रोश जताया और कहा मुझे खरीदने की किसी की औकात नहीं।

तीसरे वीडियो वायरल के बाद यह स्पष्ट होता है कि, दूसरा वीडियो मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया था लेकिन प्रथम वीडियो के बाद शिक्षिका को उसका हक मिला है जो स्वयं महिला तीसरे वीडियो में पुष्टि कर रही है।

बात यहाँ यह कि, प्रदेश के केबिनेट मंत्री के साथ गैर महिला वह भी एक शिक्षिका के साथ सम्बन्ध के सार्वजनिक खुलासे के बाद कई तरह की चर्चा हो रही है जो हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। और आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षिका व प्रदेश के केबिनेट मंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं यह सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं।

वहीं यह माना जा रहा है कि, मंत्रीजी के गले की हड्डी यह वायरल वीडियो बन चुके हैं और इसका रिजल्ट बाद में सामने जरूर आएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422